

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005



अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत
17 मैनुअलों का संग्रह

भाग—1

मैनुअल संख्या— 1, 2, 3 एवं 4

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड सरकार

अनुक्रमणिका

क्रमांक	मैनुअल संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	मैनुअल संख्या 1	संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य	1-39
2	मैनुअल संख्या 2	अधिकारियों तथा कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य	40-42
3	मैनुअल संख्या 3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं।	43-52
4	मैनुअल संख्या 4	कार्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान	53-67

भाग	मैनुअल संख्या	विवरण
भाग-1 1-68	मैनुअल संख्या-1 से 4	
	मैनुअल संख्या-1	संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य
	मैनुअल संख्या-2	अधिकारियों तथा कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य
	मैनुअल संख्या-3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं।
	मैनुअल संख्या-4	कार्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005



अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत
17 मैनुअलों का संग्रह

मैनुअल संख्या-1

संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

उत्तराखण्ड सरकार

अध्याय—एक


संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य

- 1) वर्ष 2001 में महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग की स्थापना राज्य की महिलाओं एवं बालकों के सर्वांगीण विकास के कार्यों को आवश्यक गति प्रदान करने के उद्देश्य से की गई। संयोगवश संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2001 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण वर्ष घोषित किया गया था। राज्य सरकार के प्रमुख अभिकरण के रूप में विभाग द्वारा ऐसी योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों का निर्धारण एवं क्रियान्वयन किया जा रहा है, जो महिलाओं एवं बालकों की प्रगति सुनिश्चित करें, साथ ही इस क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सकारी प्रयासों के मध्य समन्वय भी विभाग द्वारा स्थापित किया जाता है प्रशिक्षण, शोध, क्षमता निर्माण, रोजगार सृजत आदि क्षेत्रों में कतिपय अभिनव प्रयोग संचालित हैं। विभाग का लक्ष्य है कि महिलाओं को स्वतन्त्र एवं आत्मनिर्भर बनाते हुए सशक्त किया जाये, साथ ही एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं जागरूक वातावरण में बालकों का पालन-पोषक एवं विकास सुनिश्चित किया जाय।

विभागीय ढाँचा


- 2) महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग शासन स्तर से गाँव स्तर तक महिला एवं बच्चों के विकास के लिए कार्य करता है शासन स्तर पर सचिव इसके मुखिया हैं, अपर सचिव शासन में योजना की नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निदेशालय स्तर पर निदेशक विभागाध्यक्ष हैं, जिनकी पूरी जिम्मेदारी शासन में नीति निर्देशों को आँगनबाड़ी केन्द्रों तक क्रियान्वित कराने की है। निदेशक स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी (मुख्यालय) जनपदों से व अन्य विभागों से समन्वय की भूमिका निभाता है जनपद स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी अपने जिले के लिए समस्त सेवाओं को ग्राम स्तर तक क्रियान्वित कराने के लिए जिम्मेदार होता है। विकास खण्ड स्तर पर बाल विकास पिरयोजना अधिकारी होते हैं। जिनके अधीनस्थ मुख्य सेविकाएँ कार्यरत हैं जो सैक्टर (लगभग 20 से 25 आँगनबाड़ी केन्द्रों) की मुखिया हैं मुख्य सेविका का महत्वपूर्ण कार्य पर्यवेक्षक का है। ग्राम स्तर पर आँगनबाड़ी केन्द्र होता है जिसके द्वारा कार्यकर्ती व सहायिका के माध्यम से विभाग समस्त सेवाओं को गाँव में बच्चों व महिलाओं तक पहुँचाता है। आँगनबाड़ी केन्द्र पर स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से टीकाकरण व स्वास्थ्य जाँच की जाती है व शिक्षा विभाग के समन्वय से ई0सी0सी0ई0 केन्द्र संचालित किये जाते हैं।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास की विभागीय संरचना




विभागीय ढांचा एवं विभिन्न पदों का सृजन

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास का विभागीय ढांचा



राज्य महिला आयोग के अन्तर्गत
संस्थागत ढाँचा



3) विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनाओं का संचालन किया जाता है:-

- (1) समेकित बाल विकास सेवाये (आई0सी0डी0एस0)
- (2) किशोरी शक्ति योजना
- (3) बालिका समृद्धि योजना
- (4) स्वयंसिद्ध
- (5) इन्दिरा महिला समेकित विकास योजना
- (6) उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग
- (7) उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास सोसाइटी

विभागीय योजनाओं का विवरण, कार्य तथा दायित्व

➤ **आई0सी0डी0एस0** : जन्म से 06 वर्ष तक के बच्चों में व्याप्त कुपोषण एवं अस्वस्थता की रोकथाम, शिशु मृत्यु दर को कम करना तथा महिलाओं में, विशेषकर गर्भवती एवं धात्री महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना इस योजना का मूल उद्देश्य है।

आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1. 06 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थिति को सुधारना।
2. बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास की नींव रखना।
3. मृत्यु दर, कुपोषण और बीच में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति का कम करना।
4. बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न शिक्षा, चिकित्सा, पंचायत से नीति निर्धारण और कार्यक्रम लागू करने में प्रभावकारी तालमेल कायम करना।
5. उचित स्वास्थ्य और पोषण सम्बन्धी शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिये माताओं की क्षमता बढ़ाना।

आई0सी0डी0एस0 की सेवायें: आई0सी0डी0एस0 क अंतर्गत "आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से 06 विशिष्ट सेवायें समन्वित रूप में लाभार्थियों को दी जाती हैं – (1) पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा (2) स्वास्थ्य परीक्षण (3) संदर्भ सेवायें (4) प्रतिरक्षण/टीकाकरण (5) अनुपूरक पोषाहार (6) प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा।

लाभार्थीवार सेवाओं का वर्गीकरण

	लाभार्थी		सेवायें
1	गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली मातायें (धात्री मातायें)	क	स्वास्थ्य जाँच
		ख	गर्भवती माताओं का टिटनस टीकाकरण
		ग	पूरक एवं स्वास्थ्य शिक्षा
		घ	पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा
		ड	सन्दर्भ सेवायें
2	15-45 वर्ष की अन्य महिलायें	क	कुपोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा
3	1 वर्ष से कम आयु के बच्चे	क	कुपोषण का चिन्हीकरण
		ख	पूरक पोषाहार (6 माह की आयु से अधिक)
		ग	प्रतिरक्षण (टीकाकरण)
		घ	स्वास्थ्य जाँच
		ड	सन्दर्भ सेवायें
4	1-3 वर्ष की आयु के बच्चे	क	पूरक पोषाहार
		ख	प्रतिरक्षण (टीकाकरण)
		ग	स्वास्थ्य जाँच
		घ	सन्दर्भ सेवायें
5	3-6 वर्ष की आयु के बच्चे	क	कुपोषण की चिन्हीकरण एवं पूरक पोषाहार
		ख	प्रतिरक्षण (टीकाकरण)
		ग	स्वास्थ्य जाँच
		घ	सन्दर्भ सेवायें
		ड	स्कूल जाने से पूर्व की अनौपचारिक शिक्षा
6	किशोर बालिकायें	क	स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा
		ख	पूरक पोषाहार

आई0सी0डी0एस0 के अन्तर्गत संचालित योजनायें निम्नवत् है :-

(अ) **प्रशिक्षण कार्यक्रम** : आई0सी0डी0एस0 के समस्त कार्मिकों के उच्च गुणवत्ता राज्य में कुल 7 आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र स्वीकृत है। विभाग परियोजना के अन्तर्गत कार्मिकों का प्रशिक्षण, आई0ई0सी0 गतिविधियाँ एवं राज्यपरक आवश्यकताओं पर आधारित अभिनव गतिविधियाँ आयोजित की जानी प्रस्तावित है।

(ब) **मेडिसिन किट** : केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित इस योजना के अन्तर्गत प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र पर रू0 600/- की मेडिसिन किट प्रति वर्ष दिये जाने का मानक निर्धारित है। इस किट में सामान्य रोगों की दवायें उपलब्ध कराई जाती है।

महानिदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड के माध्यम से मेडिसिन किट क्रय की जाती है।

(द) **प्री-स्कूल एजुकेशन किट** : केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित इस योजना के अन्तर्गत 06 वर्ष तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु रू0 500/- प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र की दर से प्रति वर्ष प्री-स्कूल एजुकेशन किट दिये जाने का प्राविधान है।

(य) **पका-पकाया भोजन योजना** : अनुपूरक पोषाहार को रूचिपूर्ण स्वरूप में परोसकर बच्चों में सफाई एवं आहार सम्बन्धी सही आदतों का विकास करने तथा माताओं को बच्चों सम्बन्धी उचित पोषण-शिक्षा देने के उद्देश्य से वर्ष 2003-04 में यह योजना प्रारम्भ की गई।

☉ **किशोरी शक्ति योजना** : भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किशोरी शक्ति योजना को उत्तराखण्ड राज्य में क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2001-2002 में 40 विकास खण्डों में स्वीकृत किया गया है। इस योजना में ग्यारह से अठारह वर्ष की अविवाहित, गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली किशोरियों को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर एवं अन्यत्र उनके सर्वांगीण विकास हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। उनके स्वास्थ्य की देखभाल, पौष्टिक आहार का ज्ञान, परिवार कल्याण, भाषा व गणित का ज्ञान, गृह कार्यों में दक्षता, निर्णय लेने की क्षमता में विकास, वातावरण के प्रति जागृति, व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर आत्म निर्भर बनाना, आत्म विश्वास की जागृति आदि योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं।

यह योजना आई0सीडी0एस0 के माध्यम से संचालित की जाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में पोषाहार योजना के अन्तर्गत प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र पर तीन किशोरियों की दर से अनुपूरक पोषाहार देने का निर्णय लिया गया है। किशोरियों हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण द्वारा आर्थिक उत्थान एवं आत्मविश्वास-सृजन आदि विषयों को क्षेत्र-विशेष की आवश्यकता-आंकलन के आधार पर सम्मिलित करते हुये इस योजना को चरणबद्ध ढंग से लागू किया जा रहा है।

☉ **बालिका समृद्धि** : भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित यह योजना 02 अक्टूबर 1997 को प्रारम्भ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य है कन्याओं के प्रति समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण। इसमें गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों में प्रथम 02 कन्याओं के जन्म पर रुपये 500/- बैंक खाते/ डाक घरों में कन्याओं के नाम से जमा कराये जाते हैं तथा रुपये 300/- से 1000/- तक की छात्रवृत्ति कक्षा-10 तक की शिक्षा हेतु प्रदान की जाती है।

☉ **स्वयंसिद्ध परियोजना (आई0डब्ल्यू0पी0)** : भारत सरकार द्वारा इन्दिरा महिला योजना को पुनर्गठित कर स्वयंसिद्धा योजना प्रारम्भ की गई है। योजना के अंतर्गत 11 विकास खण्डों में 100 प्रति विकासखण्ड की दर से कुल 1100 महिला स्वयं सहायता समूहों का निर्माण कर महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण के कार्यक्रम चलाये जाने हैं। केन्द्र पुरोनिधानित इस योजना में गरीबी रेखा एवं सब्सिडी प्राविधानित नहीं हैं। यह योजना राज्य के जोशीमठ, बागेश्वर, पुरोला, चिन्चालीसौड, खटीमा, सितारगंज, बाजपुर, एकेश्वर, बीरोंखाल, पोखड़ा तथा नौगांव विकासखण्डों में संचालित की जा रही है।

स्वयंसिद्धा योजना के उद्देश्य :-

- 1) महिलाओं के आत्मनिर्भर स्वयं सहायता समूहों का निर्माण।
- 2) महिलाओं में आत्मविश्वास एवं जागरूकता उत्पन्न करना, विशेष रूप से महिलापरक मुद्दों पर जैसे- स्वास्थ्य, पोषण, शिखा, कानूनी जानकारी, सामाजिक कुरीतियों से लड़ना तथा अत्यधिक काम के बोझ को कम करना, आर्थिक उन्नयन से संबंधित मामले।
- 3) समूह में बचत की आदत का सुदृढीकरण तथा आर्थिक संसाधनों पर उनका नियंत्रण सुनिश्चित करना।
- 4) लघु ऋण तक महिलाओं की अधिकाधिक पहुंच।
- 5) निम्नस्तरीय नियोजना में महिलाओं की भागीदारी।
- 6) विभिन्न रोजगारपरक गतिविधियों में प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना।
- 7) केन्द्र तथा राज्य सरकार के द्वारा संचालित विभागों के योजनाओं की जानकारी उनसे समन्वय स्थापित करना तथा योजनाओं का लाभ उठाना।
- 8) समुदाय-परक नवाचार गतिविधियाँ/कार्य जिनसे महिलाओं को कठिन श्रम व कठिन दिनचर्या से राहत दिलायी जा सके।

➔ **राज्य महिला आयोग** : राज्य में महिला उत्पीड़न पर रोक लगाने, महिलाओं के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के भेद-भाव को दूर करने तथा उनके सर्वांगीण सशक्तिकरण द्वारा उनके जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिये प्रदेश सरकार ने 09 अक्टूबर 2003को राज्य महिला आयोग का गठन किया, महिला आयोग का गठन करने वाला उत्तराखण्ड देश का 21 वाँ राज्य है। उत्तराखण्ड राज्य की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये विकेन्द्रीकृत व्यवस्था की गयी है। आयोग में प्रत्येक जनपद से कम से कम एक सदस्य को प्रतिनिधित्व दिया गया है, ताकि महिलाओं की समस्याओं का समाधान शीघ्रता एवं सरलता से स्थानीय स्तर पर किया जा सके। आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष, एक सचिव और 15 सदस्य हैं। आयोग के कार्यकाल की अवधि तीन वर्ष है।

➔ **इन्दिरा महिला समेकित विकास योजना** : महिलाओं के समन्वित विकास को बढ़ावा देने एवं दिनचर्या से उपजे उत्पीड़न के निदान हेतु अंगीनव परियोजनायें संचालित करने के उद्देश्य से वर्ष 2003-04 के बजट में यह योजना प्रस्तुत की गई। महिलाओं की कठिन दिनचर्या की समस्याओं के निदान हेतु विभिन्न विभागों, स्वयं सेवी संस्थाओं, शासकीय/अर्द्धशासकीय संगठन, सहकारी समितियों, बैंकों द्वारा वित्त पोषित स्वयं सहायता समूह, नगर निकाय, जिला/क्षेत्र/ग्राम पंचायतें, सार्वजनिक उपक्रम, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय व शोध एवं अनुसंधान संस्थाओं आदि से प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं। राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त प्रस्तावों का अनुमोदन कर विभिन्न अभिनव परियोजनायें संचालित की जा रही हैं। यह योजना स्वयंसेवी संगठनों/संस्थाओं के माध्यम से संचालित की जाती है। वर्तमान में 42 स्वयं सेवी संगठनों के द्वारा महिलाओं में कार्य के बोझ को कम करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

उत्तरांचल शासन
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास अनुभाग
संख्या-3845 / XVII (2)/2006
देहरादून: दिनांक 18 मार्च, 2006

कार्यालय ज्ञाप

सचिवालय अनुदेश 1982 के नियम-14 तथा नियम-15 में निहित प्राविधानों के अधीन महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत व्यवहृत होने वाले कार्य/प्रकरणों के सम्पादन/निस्तारण के सम्बन्ध में माननीय विभागीय मंत्री जी के अनुमोदन से निम्नवत् स्थायी आदेश निर्गत किये जाते हैं। :-

1. प्रभारी मंत्री के स्तर पर निस्तारण :-

- 1) समस्त नीति विषयक प्रकरण।
- 2) ऐसे प्रकरण जिनमें मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा विचार/निर्णय होना है।
- 3) वार्षिक योजना एवं बजट/अनुपूरक बजट प्रस्ताव का अनुमोदन।
- 4) नियम एवं अधिनियम का निर्माण तथा संशोधन।
- 5) ऐसे सभी प्रकरण जिनमें महामहिम श्री राज्यपाल की ओर से आदेश/निर्देश अध्यादेश/अधिसूचना निर्गत की जानी हों।
- 6) विभाग से सम्बन्धित भूमि हस्तान्तरण संबंधी महत्वपूर्ण प्रकरण।
- 7) परिसम्पत्तियों के अर्जन-निस्वारण संबंधी महत्वपूर्ण प्रकरण।
- 8) रू0 50.00 लाख से अधिक लागत वाली नयी योजनाओं, की प्रशासकीय स्वीकृति।
- 9) राज्य पुनर्गठन सम्बन्धी प्रकरण।
- 10) श्रेणी एक के अधिकारियों के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही/निलम्बन की कार्यवाही, शास्ति, चयन/प्रान्ति, स्थानान्तरण, प्रतिकूल चरित्र प्रविष्टियों का विलोपन, प्रतिनियुक्ति आदि अधिष्ठान सम्बन्धी शासन को प्राप्त होने वाले समस्त प्रकरण।
- 11) विभाग के संरचनात्मक ढांचे के पुनर्गठन एवं पद सृजन सम्बन्धी प्रकरण।
- 12) श्रेणी-1 एवं 2 के अधिकारियों से सम्बन्धित सेवा नियमावलियों तथा अन्य नियमावलियों का प्रख्यापन एवं संशोधन।
- 13) विभाग में नवीन नियुक्तियों के प्रकरण।
- 14) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के क्रियान्वयन से सम्बन्धित प्रकरण।
- 15) ऐसे प्रकरण जिन्हे मा0 प्रभारी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी हो।

2. राज्य मंत्री स्तर पर निस्तारण (राज्य मंत्री न होने की दशा में प्रस्वावित कार्य प्रभारी मंत्री में निहित होंगे) :-

- 1) रू0 50 लाख तक लागत वाली नवीन योजनाओं की स्वीकृति।
- 2) विधान सभा तथा विभिन्न नियमों के अन्तर्गत ग्राह्य सूचनायें, विधान सभा के विभिन्न समितियों को।
- 3) श्रेणी-दो के अधिकारियों के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही/निलम्बन की कार्यवाही, शास्ति, चयन/प्रोन्नति, स्थानान्तरण, प्रतिकूल चरित्र प्रविष्टियों का विलोपन, प्रतिनियुक्ति आदि अधिष्ठान सम्बन्धी शासन को प्राप्त होने वाले समस्त प्रकरण।
- 4) क्षेणी-3 तक के कार्मिकों से सम्बन्धित नियमावलिों का प्रख्यापन एवं संशोधन।
- 5) विभागीय अधिकारियों के विदेश भ्रमण की अनुमति।
- 6) कार्यदायी संस्था के रूप में कार्यसम्पादन अथवा खण्ड/उपखण्ड का सम्बद्धीकरण।
- 7) ऐसे विशिष्ट प्रकरण जिस हेतु मा0 मंत्री जी द्वारा मा0 राज्य मंत्री को अधिकृत किया गया हो।
- 8) ऐसे कोई नीति प्रकरण जिन्हें मा0 राज्य मंत्री के द्वारा विशेष तौर पर प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाय।

3. प्रमुख सचिव/सचिव स्तर पर निस्तारण :-

- 1) अनुमोदित वार्षिक योजना/बजट के अनुसार धनावंटन।
- 2) चालू निर्माण कार्यों के पुनरीक्षण प्रस्तावों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।
- 3) उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/अधिकरण/लोकायुक्त/विविध आयोगों के प्रकरणों में यथा आवश्यक न्याय आदि परामर्शी विभागों के परामर्श प्राप्त करते हुये विधिक कार्यवाही।
- 4) भारत सरकार/संघ लोक सेवा आयोग/राज्य लोक, सेवा आयोग से पत्राचार।
- 5) शासन के परामर्श दात्री विभागों यथा-कार्मिक, न्याय, वित्त को भेजे जाने वाले प्रस्वाव।
- 6) लोक सेवा आयोग परीक्षा से सम्बन्धित बिन्दुओं पर कार्यवाही।
- 7) राज्य स्तर पर गठित विभिन्न समितियों को भेजे जाने वाली सूचनायें।
- 8) केन्द्र सहायतित एवं बाह्य सहायतित योजनाओं के सम्बन्ध में स्वीकृति हेतु प्रेषित करने से पूर्व अपेक्षित समस्त कार्यवाहियां।
- 9) क्षेणी तीन के कार्मिकों के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही/निलम्बन की कार्यवाही, शास्ति, चयन/प्रोन्नति स्थानान्तरण, प्रतिकूल चरित्र प्रविष्टियों का विलोपन, प्रतिनियुक्ति आदि अधिष्ठानों से सम्बन्धीत शासन को प्राप्त होन वाले समस्त प्रकरण।
- 10) श्रेणी-1 एवं 2 के कार्मिकों के चिकित्सा उपचार हेतु प्रशासनिक स्वीकृति तथा समस्त कार्मिकों के रू0 50.000.00 तक के बिलों की वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था अनुसार प्रतिपूर्ति (इससे अधिक के मामलों में वित्त विभाग की सहमति ली जायेगी)।
- 11) सचिवालय स्तर पर अधीनस्थ कार्मिकों की यथा व्यवस्था वार्षिक प्रविष्टियों का अंकलन/नियमितिकरण।
- 12) विभागध्यक्ष द्वारा संदर्भित प्रकरणों के सम्बन्ध में यथोचित निर्णय तथा मार्गदर्शन।
- 13) सामान्य प्रकृति के अन्य विविध प्रकरण।

4. अपर सचिव स्तर पर निस्तारण :-

- 1) श्रेणी-तीन एवं चार के कार्मिकों के चिकित्सा उपचार हेतु प्रशासनिक स्वीकृत तथा उनके रू0 25.000.00 तक के बिलों की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति।
- 2) सचिवालय स्तर पर अधीनस्थ कार्मिकों के संबंध में यथा व्यवस्था प्रतिवेदक/समीक्षक प्राधिकारी के रूप में वार्षिक चरित्र प्रविष्टि का अंकन।
- 3) श्रेणी चार के कार्मिकों के अधिष्ठान संबंधी शासन को प्राप्त होने वाले समस्त प्रकरण।
- 4) उच्च स्तर से निस्तारित प्रकारणों में पत्रावली पर अनुमोदन उपरान्त पत्राचार।
- 5) प्रमुख सचिव/सचिव की अनुपस्थिति में उच्चस्तरीय नीतिगत विषयों से भिन्न अथवा उनके द्वारा यथा निर्दिष्ट विविध कार्य।
उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(राधा रतूडी)

सचिव

संख्या-3845 (1)/XVII(2)/2006 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1) निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय मुख्यमंत्री जी के अवलोकननार्थ।
- 2) निजी सचिव, माननीया महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास राज्यमंत्री जी को माननीया राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 3) निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
- 4) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 5) अपर सचिव, गोपन, उत्तरांचल शासन।
- 6) राष्ट्रीय विज्ञान सूचना केन्द्र, सचिवालय।
- 7) निदेशक, आई0सी0डी0एस0, देहरादून, उत्तरांचल।
- 8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हेमलता ढौंडियाल)

अपर सचिव

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई०सी०डी०एस०,
उत्तरांचल, देहरादून।

बाल विकास विभाग

देहरादून : दिनांक 24 नवम्बर, 2001

विषय :- आई०सी०डी०एस० निदेशालय क गठन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहन का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उत्तरांचल में स्थापित होने वाले नवगठित आई०सी०डी०एस० निदेशालय की स्थापना किये जाने हतु निम्न विवरणानुसार अस्थायी पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमानों में इस आदेश के निर्गत होने अथवा नियुक्ति की तिथि (जो भी बाद में हो) से 28 फरवरी, 2002 तक बशर्ते कि ये इससे पूर्व समाप्त न कर दिये जायें, सृजित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र० स०	पदनाम	स्वीकृत पदों की सं०	वेतनमान	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05
1.	निदेशक	01 पद	अपने संबर्ग के अनुसार	आई०ए०एस० / पी०सी०एस०
2.	कार्यक्रम अधिकारी	01 पद	रु० 8000-275-13500	विभागीय अधिकारी द्वारा भरा जायेगा।
3.	लेखाकार	01 पद	रु० 5000-150-8000	...
4.	लेखा लिपिक	01 पद	रु० 4000-100-6000	...
5.	स्टैनो ग्रेड-डी	01 पद	रु० 4000-100-6000	...
6.	कनिष्ठ लिपिक	01 पद	रु० 3050-75-3950-80-4590	...
7.	वाहन चालक	01 पद	रु० 3050-75-3950-80-4590	...
8.	चपरासी	01 पद	रु० 2550-55-2660-60-3200	...
	कुल	08 पद		

उक्त पदों पर वेतन के अलावा शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार अनुमन्य मंहगाई व अन्य भत्ते देय होंगे।

3. पदों पर नियुक्ति आवश्यकतानुसार की जाये। उक्त स्वीकृत पद पुर्णतः अस्थाई है एवं इन्हें बिना किसी पूर्वसूचना के समाप्त किया जा सकता है।
4. निदेशक के अतिरिक्त शेष पदों पर यथा संभव विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों से भरे जायें।
5. इस संबध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2001-2002 के अनुदान संख्या 15 के लेखाशीर्षक 2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण 02 समाज कल्याण 102 बाल कल्याण 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें 03 आई0सी0डी0एस0 निदेशालय की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।
6. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या : 459/वि0अनु0, 2/2001 दिनांक 23 नवम्बर, 2001 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)

सचिव

संख्या : 501 / आई0सी0डी0एस0-117 / 2001 / दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महालेखाकार, उत्तरांचल प्रकोष्ठ, इलाहाबाद, उ0प्र0।
2. शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
3. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ।
4. राजकीय मुद्राणालय, रूड़की (हरिद्वार) को दो अतिरिक्त प्रति के साथ गजट हेतु प्रकाशनार्थ।
5. अपर सचिव, गोपन विभाग, उत्तरांच शासन।
6. वित्त अनुभाग-2, उत्तरांचल शासन।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दमयन्ती दोहरे)

संयुक्त सचिव

उत्तरांचल शासन
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग
संख्या : 29/टास्कफोर्स/ /2002
देहरादून : दिनांक 23 अप्रैल, 2002

कार्यालय ज्ञाप

महिला एवं बाल विकास विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आई0सी0डी0एस0 के अन्तर्गत राज्य प्रशिक्षण टास्क फोर्स के गठन संबंधी दिये गये दिशा-निर्देशानुसार अत्तरांचल राज्य हेतु राज्य प्रशिक्षण टास्क फोर्स का गठन निम्नवत किया जाता है :-

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. निदेशक, आई0सी0डी0एस0, उत्तरांचल | : | अध्यक्ष |
| 2. संयुक्त निदेशक, ए0टी0आई0, नैनीता | : | सदस्य |
| 3. निपसिड, क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ के प्रतिनिधि | : | सदस्य |
| 4. निदेशक, शिक्षा, उत्तरांचल द्वारा नामित प्रतिनिधि | : | सदस्य |
| 5. क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान के प्रतिनिधि | : | सदस्य |
| 6. माहनिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0, उत्तरांचल द्वारा नामित प्रतिनिधि | : | सदस्य |
| 7. आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, हरिद्वार का एक प्रतिनिधि | : | सदस्य |
| 8. विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रतिनिधि | : | सदस्य |
| 9. जनपद देहरादून से एक बाल विकास परियोजना अधिकारी | : | सदस्य |
| 10. जनपद देहरादून से एक मुख्य सेविका | : | सदस्य |
| 11. जनपद देहरादून से एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री | : | सदस्य |
| 12. एक जिला कार्यक्रम अधिकारी/स्टेट नोडल आफिसर, उदिशा | : | सदस्य |

उत्तरांचल राज्य प्रशिक्षण टास्क फोर्स के निम्नवत उद्देश्य होंगे :-

1. आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम का पुर्नअभिमुखीकरण का पुर्नजीवन प्रदान करना।

2. आई0सी0डी0एस0 को एक जीवन्त संवेदनशील एवं नवाचारों से परिपूर्ण मानव संसाधन विकास का कार्यक्रम बनाना।

टास्क फोर्स के दायित्व निम्न होंगे :-

1. आई0सी0डी0एस0 प्रशिक्षण के समस्त अवयवों में समन्वय स्थापित करना।
2. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, रणनीति एवं पद्धति में यथोचित बदलाव संबंधी सुझाव देना।

(आलोक कुमार जैन)
सचिव

संख्या : (1) / / 2002 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, आई0सी0डी0एस0, उत्तरांचल।
2. संयुक्त निदेशक, ए0टी0आई0, नैनीताल।
3. निदेशक, निपसिड, क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ।
4. निदेशक, शिक्षा, उत्तरांचल।
5. निदेशक, क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, उत्तरांचल।
6. महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0, उत्तरांचल।
7. निदेशक, आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, हरिद्वार।
8. नोडल अधिकारी, विश्व खाद्य कार्यक्रम, उत्तरांचल।
9. जिला कार्यक्रम अधिकारी, देहरादून।
10. स्टेट नोडल आफिसर उदिशा, उत्तरांचल।

आज्ञा से,

(मनीषा पंवार)
अपर सचिव

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई०सी०डी०एस०,
उत्तरांचल, देहरादून।

महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग

देहरादून : दिनांक 24 नवम्बर, 2001

विषय :- समन्वित बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं के मानदेय की दरों का पुनरिक्षित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या 1-3/2002-सी०डी०-1 (Vol. II) दिनांक 16 जनवरी, 2003 द्वारा लिये गये निर्णयानुसार आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं के मानदेय की दरों को 01 अप्रैल, 2002 से पुनरीक्षित की गयी हैं अतएव श्री राज्यपाल महोदय आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं के मानदेय की दरों को 01 अप्रैल, 2002 से निम्नानुसार पुनरीक्षित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

Sl. No.	Category	Existing honorarium effective from 16.05.1997	Revised honorarium effective from 01.04.2002
01	02	03	04
(A)	Anganwadi workers		
1.	Non-Matriculate	438	938
2.	Non-Matruclate with 05 years honorary work	469	969
3.	Non-Matruclate with 10 years honorary	500	1000
4.	Matriculates	500	1000
5.	Matruclate with 05 years honorary work	531	1031
6.	Matruclate with 05 years honorary work	536	1063
(B)	Helpers	260	500

- 2- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं को 01 अप्रैल, 2002 से अब तक की अवधि की देनदारी (ऐरियर) का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष 2002-03 में ही करना सुनिश्चित किया जाय।
- 3- पुनरीक्षित दरों के फलस्वरूप ऐरियर के रूप में व्यय होन वाली धनराशि की व्यवस्था तत्काल पुर्नविनियोजन के माध्यम से कराते हुए जनपदीय आहरण वितरण अधिकारियों की आवश्यकतानुसार धनराशि उपलब्ध करा दी जाय तथा अतिरिक्त वांछित धनराशि का प्रस्ताव शीघ्र भारत सरकार को भिजवाना सुनिश्चित किया जाये।
- 4- उक्त मानदेय पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2002-03 में अनुदान संख्या 15 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्रीय पुरानिधारित योजनायें-0112-45 नई समन्वित बाल विकास परियोजनायें तथा 0102- समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत निर्दिष्ट सुसंगत इकाईयों के नाम डाला जायेगा।
- 5- यह आदेश वित्त अनुभाग-2, उत्तरांचल शासन के अशासकीय संख्या 2107/वि0अनु0-2/03 दिनांक 06.02.2003 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
सचिव

संख्या : 433 (1)/बा0वि0/उ0शा0-238/2003 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल, देहरादून।
5. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।

7. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तरांचल ।
8. समस्त बाल विकास, परियोजना अधिकारी, उत्तरांचल ।
9. वित्त अनुभाग-2, उत्तरांचल शासन ।
10. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(दमयन्ती दोहरे)
संयुक्त सचिव

निदेशालय आई0सी0डी0एस0 उत्तरांचल ।

संख्या C-174 कैम्प/मानदेय/2002-03 देहरादून दिनांक 14 फरवरी 2003 प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल ।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी उत्तरांचल ।
3. समस्त कोषाधिकारी उत्तरांचल ।
4. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी उत्तरांचल ।
5. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी उत्तरांचल ।
6. गार्ड फाइल हेतु ।

(मनीषा पंवार)
निदेशक

उत्तरांचल शासन

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

संख्या : /स्वयंसिद्ध/ 113/ बा.वि./ 2001

देहरादून : दिनांक 20 मई, 2002

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से उत्तरांचल राज्य में स्वयंसिद्धा परियोजना के कार्यान्वयन हेतु 11 विकास खण्डों का चयन निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र०सं०	जनपद	विकास खण्ड
1.	चमोली	जोशीमठ
2.	बागेश्वर	बागेश्वर
3.	पौड़ी	एकेश्वर
4.		बीरोंखाल
5.		पोखड़ा
6.	उधमसिंह नगर	बाजपुर
7.		खटीमा
8.		सितारगंज
9.	उत्तरकाशी	नौगांव
10.		पुरोला
11.		चिन्थालीसौड़

(आलोक कुमार जैन)
सचिव

संख्या : सी 32/अ.स.मै (1)/स्वयंसिद्धा/ 113/ बा.वि./ 2001 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, नि एवं ग्राम्य विकास, उत्तरांचल शासन।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/उद्योग/उद्यान/खादी एवं ग्रामोद्योग/डेयरी विकास/ग्राम्य विकास/पंचायत राज/पेयजल/कृषि, उत्तरांचल शासन।
3. निदेशक, आई.सी.डी.एस., उत्तरांचल, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, चमोली/बागेश्वर/पौड़ी/उधमसिंह नगर/उत्तरकाशी।
5. मुख्य विकास अधिकारी, चमोली/बागेश्वर/पौड़ी/उधमसिंह नगर/उत्तरकाशी।
6. जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रोबेशन अधिकारी/उद्यान अधिकारी/डेयरी विकास अधिकारी/खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी/प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल/वरिष्ठ कोषाधिकारी/प्रतिनिधि, पी.आई.ए. एवं विकास खण्ड सोसायटी-जनपद चमोली/बागेश्वर/पौड़ी/उधमसिंह नगर/उत्तरकाशी।

आज्ञा से,

(मनीषा पांवर)
अपर सचिव

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक?
आई0सी0डी0एस0
उत्तरांचल, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग,

देहरादून : दिनांक 30 दिसम्बर 2005

विषय :- आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि विषयक।

महोदया,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तरांचल में संचलित समन्वित बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं को दिनांक 01 जनवरी 2006 से निम्नानुसार मानदेय भुगतान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र०सं०	पदनाम	मानदेय की दर
1	आंगनबाड़ी कार्यकर्ती	1500/- प्रतिमाह
2	आंगनबाड़ी सहायिका	750/- प्रतिमाह

2- उक्त स्वीकृति दरों पर मानदेय भुगतान करने हेतु शासनादेश संख्या 3379/XVII(2)/-05/2005 दिनांक 06 दिसम्बर 2005 द्वारा पूर्व ही अनुदान संख्या 15 में रू० 279.36 लाख, अनुदान संख्या 30 में 13.50 लाख तथा अनुदान संख्या 3 में रू० 6.75 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अतएव अपने अधिनस्थ आहरण वितरण अधिकारी के निर्वतन पर तत्काल धनराशि अवमुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जायें

3- उक्त मानदेय की धनराशि का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा और केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त हो रही मानदेय की धनराशि पूर्व की भांति आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों/सहायिकाओं को प्राप्त होती रहेगी।

भवदीया

(राधा रतूड़ी)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या/दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून।
- 2- आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तरांचल।
- 3- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
- 4- समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तरांचल।
- 5- समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तरांचल।
- 6- समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, उत्तरांचल।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हेमलता ढौडियाल)
अपर सचिव

उत्तरांचल सरकार
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

संख्या 342/महिला आयोग गठन

देहरादून : दिनांक : 9 अक्टूबर 2003

अधिसूचना

महामहिम श्री राज्यपाल एतद्वारा उत्तरांचल राज्य महिला आयोग के गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। आयोग में एक अध्यक्ष तथा 13 सदस्य होंगे जो महिलाओं के सशक्तिकरण एवं विकास को गति प्रदान करेंगे।

अग्रतर श्री राज्यपाल एतद्वारा डा0 (श्रीमती) सन्तोष चौहान पत्नी श्री पी.ए. चौहान, निवासी न्यू बिल्डिंग, राजघाट, कनखल, हरिद्वार की, पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष के लिये, आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की भी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

(एस0के0 मुट्ठू)
सचिव

संख्या— 342 (1)/क0आ0ग0/2003, तददिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रुड़की, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को शासकीय गजट के अग्रिम अंक में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(दमयन्ती दोहरे)
अपर सचिव

क्रमश.....2

उत्तरांचल शासन
संख्या : 2812 / XVII(2) / 2005
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
देहरादून : दिनांक 18 अगस्त, 2005

कार्यालय ज्ञान

शासनदेश संख्या-1451 / XVII(2) 4- / 2004 दिनांक 08 दिसम्बर, 2004 शासनदेश संख्या-1452 / XVII(2) 4- / 2004 दिनांक 08 दिसम्बर, 2004 एवं शासनदेश संख्या-2188 / XVII(2) / 2005 दिनांक 08 अप्रैल 2005 द्वारा गठित प्रादेशिक बाल विकास बोर्ड में निम्नलिखित पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। जिनका विवरण निम्न है :-

1-	श्रीमती अमृता रावत (मा0 राजय मंत्री) उत्तरांचल	अध्यक्ष
2-	श्रीमती प्रेमलता सिंह, समाजिक कार्यकर्ता।	कार्यकारी अध्यक्ष
3-	श्रीमती नगना, रूड़की, हरिद्वार-	उपाध्यक्ष
4-	श्रीमती विमला सांगुडी, हल्द्वानी, नैनीताल-	उपाध्यक्ष
5-	श्रीमती भावना शर्मा, रानीखेत, अल्मोड़ा-	सदस्य
6-	श्रीमती रविकान्ता वर्मा, देहरादून-	सदस्य
7-	श्रीमती दुलारी रावत, कमलपुर, पौड़ी-	सदस्य

शासनदेश संख्या-2462 / XVII(2) 4- / 2004 दिनांक 16 जून, 2005 द्वारा कर्तव्यों एवं दायित्वों निर्वहन हेतु बोर्ड को स्टेट प्लान ऑफ एक्शन फार चिल्ड्रान के निर्माण का कार्य सौंपा गया है।

(राधा रतूड़ी)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या- XVII(2) दिनांकित

प्रतिलिपि :- 1- समस्त जिलाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2- निदेशक, आई0सी0डी0एस0, उत्तरांचल देहरादून।

आज्ञा से,

(हेमलता ढौडियाल)
अपर सचिव

प्रेषक,

एस0के0 मुट्टू
प्रमुख सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

सचिव
उत्तरांचल राज्य महिला आयोग,
देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, देहरादून: दिनांक 22 जनवरी 2004

विषय : उत्तरांचल राज्य महिला आयोग की स्थापना।

महेदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल में उत्तरांचल राज्य महिला आयोग की स्थापना किये जाने हेतु निम्न विवरण के अनुसार अस्थायी पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमानों में इस आदेश के निर्गत होने अथवा नियुक्ति की तिथि (जो भी बाद में हो) से 29 फरवरी 2004 तक बशर्त कि ये इससे पूर्व समाप्त न कर दिये जाये, सृजित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0	पद का नाम	स्वीकृत पद	वेतनमान	अभ्युक्ति
1.	अध्यक्ष	01 पद	अपने संवर्ग के अनुसार	-
2.	सचिव	01 पद	आई0ए0एस0 / पी0सी0एस0 अपने संवर्ग के अनुसार	महिला अधिकारी नियुक्त की जायेगी।
3.	विधि अधिकारी	01 पद	15000/- प्रतिमाह मानदेय	सर्विदा पर महिला अधिवक्ता नियुक्त की जायेगी।
4.	परामर्शक	01 पद	15000/- प्रतिमाह मानदेय	सर्विदा पर महिला नियुक्त की जायेगी।
5.	निजी सहायक	01 पद	12000/- प्रतिमाह मानदेय	सर्विदा पर नियुक्त किया जायेगा।
6.	आशुलिपिक	01 पद	4000-100-6000	प्रति नियुक्ति पर भी रखा जा सकता है।
7.	प्रशासनिक सहायक / स्वागतकर्ता	01 पद	5000/- प्रतिमाह मानदेय	सर्विदा पर

2- उक्त पदों में क्रमांक 2 व 6 के पद धारकों को वेतन के अलावा शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार अनुमन्य मंहगाई भत्ता व अन्य भत्ते देय होंगे।

3- आयोग के अन्तर्ग उक्त पदों के अतिरिक्त एक उपाध्यक्ष एवं 13 सदस्य भी होंगे।

4- पदों पर नियुक्ति आवश्यकानुसार की जाये, उक्त स्वीकृत पद पूर्णतः अस्थायी है एवं इन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष में 2003-04 के अनुदान संख्या 15-लेखा शीर्षक 2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-02 समाज कल्याण- 102 बाल कल्याण - 01 राज्य आयोजनागत - 018- उत्तरांचल राज्य महिला आयोग की स्थापना की सुसंगत इकाइयों के नामों डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या 1021/वित्त अनु0-2/03 दिनांक 19-01-04 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0के0 मुट्टू)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तरांचल ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- 2- शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/स्टाफ आफीसर मुख्य सचिव।
- 3- अपर सचिव, गोपन विभाग, उत्तरांचल शासन।
- 4- वित्त अनुभाग-2, उत्तरांचल शासन।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तरांचल।
- 6- उपनिदेशक, लिथो प्रेस, रूड़की हरिद्वार को दो अतिरिक्त प्रति के साथ गजट हेतु प्रकाशनार्थ।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दमयन्ती दोहरे)
अपर सचिव

संख्या 757 (2)/महिला आयोग का गठन/2004, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी।
- 3- अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग, 4 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
- 4- डॉ० श्रीमती सन्तोष चौहान, अध्यक्ष राज्य महिला आयोग, न्यू बिल्डिंग, राजघाट, कनखल, हरिद्वार।
- 5- निजी सचिव, समस्त मा० मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, उत्तरांचल शासन।
- 6- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तरांचल शासन।
- 7- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 8- आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
- 9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
- 10- अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तरांचल।
- 11- निदेशक आई०सी०डी०एस०, उत्तरांचल।
- 12- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 13- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दमयन्ती दोहरे)
अपर सचिव

निदेशालय
आई0सी0डी0एस0, उत्तरांचल
डी0 47, सेक्टर-4, डिफेन्स कालोनी, देहरादून
संख्या C-298 / आई0सी0डी0एस0 / गो0प्र0 / 2004-05 दिनांक 13 / 05 / 2004

कार्यालय ज्ञाप

निदेशालय आई0सी0डी0एस0, उत्तरांचल देहरादून में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के निस्तारण हेतु एतद् द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है।

क्र0	श्रेणी / वर्ग	प्रतिवेदक	समीक्षक	स्वीकारकर्ता
1-	कार्यक्रम अधिकारी (मु0)	निदेशक	निदेशक	शासन
2-	समस्त अधिकारी	कार्यक्रम अधिकारी (निदेशालय)	निदेशक	निदेशक
3-	अन्य समस्त तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ कर्मचारी	---तदैव---	निदेशक	निदेशक

(दमयन्ती दोहरे)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- श्री मोहित चौधरी, कार्यक्रम अधिकारी (मु0), निदेशालय, आई0सी0डी0एस0, देहरादून।
- 2- प्रभारी स्थापना, निदेशालय, आई0सी0डी0एस0, देहरादून।
- 3- गार्ड फाईल हेतु।

निदेशक

प्रेषक,

मनीषा पंवार
निदेशक, आई0सी0डी0एस0,
उत्तरांचल।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

देहरादून: दिनांक 22 जनवरी 2004

विषय : जिला स्तर के कार्यालयों में प्रशासनिक अधिकारों का विकेन्द्रीकरण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या सी-173/3435/बा0वि0परि0/97-98 दिनांक 4 अगस्त, 1997 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इस विभाग के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रशासनिक अधिकारों को विकेन्द्रित किया गया है।

उक्त संदर्भित पत्र को सम्यक् विचारोपरान्त अतिक्रमित करते हुये निम्नांकित अधिकार एतद् द्वारा विकेन्द्रित किये जाते हैं :-

अनुशासनिक कार्यवाही

क्र0स0	श्रेणी/पद	अधिकार का प्रकार	जिसके द्वारा प्रयोग किया जायेगा
1.	बाल विकास परियोजना अधिकारी/अपर बाल विकास परियोजना अधिकारी	1. वृहद् दण्ड 2. लघु दण्ड	निदेशक जिलाधिकारी
2.	मुख्य सेविका	1. वृहद् दण्ड 2. लघु दण्ड	निदेशक जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी
3	मुख्य लिपिक/वरिष्ठ सहायक/वरिष्ठ लिपिक/संगणक एवं अन्य तृतीय श्रेणी कर्मचारी	1. वृहद् दण्ड 2. लघु दण्ड	निदेशक जिलाधिकारी
4.	कनिष्ठ लिपिक/वाहन चालक	1. वृहद् दण्ड 2. लघु दण्ड	निदेशक जिलाधिकारी
5.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1. वृहद् दण्ड 2. लघु दण्ड	जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी

वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि

क्र0स0	श्रेणी/पद	प्रतिवेदन	समीक्षक	स्वीकारकर्ता
1	बाल विकास परियोजना अधिकारी/अपर बाल विकास परियोजना अधिकारी	जिला कार्यक्रम अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी	निदेशक
2.	मुख्य सेविका	बाल विकास परियोजना अधिकारी	जिला कार्यक्रम अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी/जिलाधिकारी

3.	तृतीय श्रेणी के अन्य समस्त कर्मचारी	बाल विकास परियोजना अधिकारी / जिला कार्यक्रम अधिकारी	जिला कार्यक्रम अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी / जिलाधिकारी
4.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	बाल विकास परियोजना अधिकारी / जिला कार्यक्रम अधिकारी	जिला कार्यक्रम अधिकारी	जिला कार्यक्रम अधिकारी

अर्जित अवकाश / चिकित्सा अवकाश

1	2	3	4	5
1.	बाल विकास परियोजना अधिकारी / अपर बाल विकास परियोजना अधिकारी	अर्जित / चिकित्सा / मातृत्व अवकाश		15 दिन तक जिला कार्यक्रम अधिकारी 30 दिन तक मुख्य विकास अधिकारी तथा इससे ऊपर निदेशक।
2.	मुख्य सेविका / मुख्य लिपिक / वरिष्ठ सहायक / वरिष्ठ लिपिक / संगणक / कनिष्ठ लिपिक / वाहन चालक	अर्जित / चिकित्सा / मातृत्व अवकाश		30 दिन तक जिला कार्यक्रम अधिकारी 60 दिन तक मुख्य विकास अधिकारी तथा इससे ऊपर निदेशक।
3.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	अर्जित / चिकित्सा / मातृत्व अवकाश		समस्त अवकाश जिला कार्यक्रम अधिकारी।

वार्षिक वेतनवृद्धि – समस्त मामलों में आहरण वितरण अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

जिला कार्यक्रम अधिकारियों के आकस्मिक अवकाश मुख्य विकास अधिकारी / जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे तथा अन्य सभी अवकाश निदेशक, आई.सी.डी.एस, उत्तरांचल के माध्यम से शासन को संदर्भित किये जायेंगे।

भवदीया,

(मनीषा पवार)
निदेशक

संख्या : सी-104 / आई.सी.डी.एस. / 2002 तददिनांक /

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
3. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तरांचल।
4. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, उत्तरांचल।
5. गार्ड फाईल।

(मनीषा पवार)
निदेशक

उत्तरांचल शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
संख्या : 2188 / XVII(2) / 2005
देहरादून : दिनांक 28 अप्रैल,, 2005

ज्ञाप

एतद् द्वारा श्री राज्यपाल महोदय राज्य के बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु तात्कालिक प्रभाव से 'प्रादेशिक बाल विकास बोर्ड' में निम्नलिखित सदस्यों को नामित किए जाने हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- 1- श्रीमती भावना शर्मा, पत्नी स्व० श्री विष्णु दत्त शर्मा - सदस्य
त्रिभुवन होटल परिसर, रानीखेत, अल्मोड़ा
- 2- श्रीमती रविकान्ता वर्मा, पत्नी श्री लाल सिंह वर्मा - सदस्य
135, सहारनपुर रोड़, शहीद रतूड़ी मार्ग, देहरादून
- 3- श्रीमती दुलारी रावत, पत्नी श्री जगमोन सिंह रावत - सदस्य
प्रवक्ता, ज०इ०का०, कमलपुर पौड़ी

(एस०के० मुद्दू)
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निजी सचिव, महामहिम राज्यपाल, उत्तरांचल, देहरादून ।
- 2- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तरांचल, देहरादून ।
- 3- निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तरांचल, देहरादून ।
- 4- समस्त निजी सचिव, मा० मंत्री, उत्तरांचल, देहरादून ।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
- 6- आयुक्त गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल, उत्तरांचल ।
- 7- निदेशक, आई०सी०डी०एस०, डिफेन्स कालोनी, देहरादून ।
- 8- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
संख्या : 1452 / XVII(2)-04 / 2004
देहरादून : दिनांक 08 दिसंबर, 2004

ज्ञाप

एतदद्वारा द्वारा श्री राज्यपाल महोदय राज्य के बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु तात्कालिक प्रभाव से 'प्रादेशिक बाल विकास बोर्ड' का निम्नवत गठन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- | | | | |
|---|---|---|-------------------|
| 1 | मा. राज्य मंत्री उत्तरांचल | — | अध्यक्ष |
| 2 | श्रीमती प्रेमलता सिंह, समाजिक कार्यकर्ता
रूद्रपुर, जिला उधमसिंह नगर | — | कार्यकारी अध्यक्ष |
| 3 | श्रीमती नगम, 44 सिविल लान्स जादूगर रोड़
रूड़की जिला हरिद्वार उत्तरांचल | — | उपाध्यक्ष |
| 4 | श्रीमती विमला सांगुड़ी, हल्द्वानी जिला नैनीताल | — | उपाध्यक्ष |
| 5 | मा० राज्य मंत्री द्वारा नामित पॉच व्यक्ति | — | सदस्य |

(एस०के० मुट्टू)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

संख्या : 1452 / XVII(2)-04 / 2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 उपनिदेशक, राजयकीय लिथो प्रटिंग प्रेस रूड़की, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित की ज्ञाप की 100 प्रति तैयार कर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग, उत्तरांचल शासन देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 2 निजी सचिव, महामहिम राज्यपाल, उत्तरांचल, देहरादून।
- 3 निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तरांचल, देहरादून।
- 4 निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
- 5 समस्त निजी सचिव, मा. मंत्री, उत्तरांचल, देहरादून।
- 6 समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तरांचल शासन देहरादून।
- 7 समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
- 8 आयुक्त गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल, उत्तरांचल।
- 9 निदेशक, आई.सी.डी.एस., डिफेन्स कालोनी, देहरादून।
- 10 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
संख्या : 1451 / XVII(2)-04 / 2004
देहरादून : दिनांक 08 दिसंबर, 2004

ज्ञाप

एतदद्वारा द्वारा श्री राज्यपाल महोदय राज्य के बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु तात्कालिक प्रभाव से "प्रादेशिक बाल विकास बोर्ड" का निम्नवत गठन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1

(एस0के0 मुट्टू)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

संख्या : 1451 / XVII(2)-04 / 2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 उपनिदेशक, राजयकीय लिथो प्रटिंग प्रेस रुड़की, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित की ज्ञाप की 100 प्रति तैयार कर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग, उत्तरांचल शासन देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 2 निजी सचिव, महामहिम राज्यपाल, उत्तरांचल, देहरादून।
- 3 निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तरांचल, देहरादून।
- 4 निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
- 5 समस्त निजी सचिव, मा. मंत्री, उत्तरांचल, देहरादून।
- 6 समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तरांचल शासन देहरादून।
- 7 समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
- 8 आयुक्त गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल, उत्तरांचल।
- 9 निदेशक, आई.सी.डी.एस., डिफेन्स कालोनी, देहरादून।
- 10 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हेमलता ढौंडियाल)

हेमलता ढौंडियाल
अपर सचिव,

सेवा में,
निदेशक
आई0सी0डी0एस0
उत्तरांचल, देहरादून।

महिला सशक्तिरण एवं बाल विकास विभाग, देहरादून:- दिनांक 15 जुलाई, 2005

विषय:- प्रदेश के समन्वित बाल विकास सेवा, विभाग के अन्तर्गत सृजित अस्थायी पदों की निरन्तरता दिनांक 1 मार्च 2005 से 28 फरवरी 2006 तक बनाये रखने क सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, श्री राज्यपाल समन्वित बाल विकास सेवा, विभाग के अन्तर्गत स्वीकृत अस्थायी पदों जिनका उल्लेख संलग्नको में किया गया है, को दिनांक 1 मार्च 2005 से 28 फरवरी 2006 तक बशर्ते इससे पूर्व इन पदों को बिना सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- गत वर्ष इन पदों की निरन्तरता शासनादेश संख्या अवधि दिनांक 28 फरवरी 2005 तक शासनादेश संख्या 2092/XVII(2)/2004 दिनांक 23 मार्च 2005 द्वारा प्रदान की गयी थी।

3- आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं को शासनादेश संख्या-433/वा0वि0/उ0शा0-238/2003 दिनांक 14 फरवरी 2003 के द्वारा निर्धारित दरों पर मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

4- भारत सरकार द्वारा समन्वित बाल विकास सेवा योजना अन्तर्गत सृजित चालक के पदों को मृत कैंडर घोषित कर दिया गया है अतएव वर्तमान पदधारक चालक जिस परियोजना में तैनात हैं/किये जायें वहां उक्त पद स्थापित माना जायेगा।

5- उक्त पदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 के आयक-व्ययक के निम्नांकित अनुदान संख्या में निर्दिष्ट लेखा शीर्षक के अन्तर्गत उपलेखा शीर्षकों से वहन किया जायेगा-

**अनुदान
संख्या**

लेखा शीर्षक

उपलेखा शीर्षक

15	2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (क्रमशः)	0102 - समन्वित बाल विकास योजना। (100% केन्द्र सहायता)
	02- समाज कल्याण (क्रमशः)	0103 - निदेशालय आई0सी0डी0एस0 स्थापना। (100% केन्द्र सहायता)
	102- बाल कल्याण (क्रमशः)	0104 - समन्वित बाल विकास के लिये जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था (100% केन्द्र सहायता)
	01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें (क्रमशः)	

	कल्याण (क्रमशः)	केन्द्र सहायता
	02- समाज कल्याण (क्रमशः)	
	102- बाल कल्याण (क्रमशः)	
	02- अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (क्रमशः)	
31	2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (क्रमशः)	04- समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार (100% केन्द्र सहायता)
	02- समाज कल्याण (क्रमशः)	
	796- जन जातीय क्षेत्र उप योजना (क्रमशः)	

संलग्नक - यथोपरि।

भवदीय,

(हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या तथा दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
- 2- महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
- 3- मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायू मण्डल पौड़ी गढ़वाल/नैनीताल।
- 4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
- 5- निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल देहरादून।
- 6- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
- 7- समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तरांचल।
- 8- समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कवीन्द्र सिंह)
अनु सचिव

संलग्नक-1

संख्या - 2661 / XVII(2) / 2005 दिनांक 15 जुलाई, 2005 का संलग्नक

निदेशालय आई0सी0डी0एस0 उत्तरांचल के अन्तर्गत स्वीकृत पदों की निरन्तरता

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	स्वीकृत शासनदेश संख्या
1	निदेशक	आई0ए0एस0 अथवा पी0सी0एस0	1	संख्या-501 / आई.सी.डी.एस.-117 / 2001 दिनांक 24 नवम्बर 2001
2	जिला कार्यक्रम अधिकारी	(8000-275-13500)	1	
3	लेखाकार	5000-150-8000	1	
4	लेखालिपिक	4000-100-6000	1	
5	स्टेनो ग्रेड-डी	4000-100-6000	1	
6	कनिष्ठ लिपिक	3050-75-3950-80-4590	1	
7	चपरासी	2550-55-2660-60-3200	1	
	योग		7	

नियमित पदों की संख्या- 07

(हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव

संलग्नक-2

संख्या - 2661/XVII(2)/2005 दिनांक 15 जुलाई, 2005 का संलग्नक

आई0सी0डी0एस0 उत्तरांचल में संचालित 07 जिला कार्यक्रम कार्यालयों में स्वीकृत पदों की निरन्तरता

क्र.सं.	जनपद	पदों का विवरण						पूर्व स्वीकृत शासनादेश संख्या
		जिला कार्यक्रम अधिकारी (8000-275-13500)	मुख्य लिपिक (4500-125-7000)	मुख्य लिपिक (4000-100-6000)	संगणक (4000-100-6000)	कनिष्ठ लिपिक (3050-4590)	चपरासी (2550-3200)	
1	देहरादून	1	1	1	1	1	1	संख्या-2092/XVII(2)/2004 दिनांक 23 मार्च, 2005
2	पौड़ी गढ़वाल	1	1	1	1	1	1	तदैव
3	टिहरी गढ़वाल	1	1	1	1	1	1	तदैव
4	उत्तरकाशी	1	—	2	1	1	1	तदैव
5	नैनीताल	1	—	2	1	1	1	तदैव
6	पिथौरागढ़	1	1	1	1	1	1	तदैव
7	अल्मोड़ा	1	1	1	1	1	1	तदैव
	योग	7	5	9	7	7	7	

(हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव

संख्या – 2661 / XVII(2) / 2005 दिनांक 15 जुलाई, 2005 का संलग्नक
बाल विकास परियोजना कार्यालयों में स्वीकृत पदों की निरन्तरता

क्र.सं.	जनपद	परियोजना	स्वीकृत पदों का विवरण एवं वेतनमान									पूर्व स्वीकृत शासनदेश संख्या
			बाल विकास परियोजना अधिकारी 5000-150-8000	मुख्य सेविका 4500-125-7000	सांख्यिकीय सहायक 5000-150-8000	वरिष्ठ सहायक 4500-125-7000	वरिष्ठ लिपिक 4000-100-6000	कनिष्ठ लिपिक 3050-4590	चपरासी 2550-3200	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियत मानदेय	आंगनबाड़ी सहायिका नियत मानदेय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	देहरादून	चकराता	1	2	-	-	1	1	1	50	50	संख्या-2092 / XVII(2) / 2004 दिनांक 23 मार्च, 2005
2		कालसी	1	2	-	1	-	1	1	50	50	तदैव
3		सहसपुर	1	6	-	1	-	1	1	160	160	तदैव
4		विकासनगर	1	4	-	-	1	1	1	97	97	तदैव
5		शहर देहरादून	1	4	-	1	-	1	1	100	100	तदैव
6		रायपुर	1	4	1	-	-	1	1	95	95	तदैव
7		डोईवाला	1	4	1	-	-	1	1	98	98	तदैव
		योग	7	26	2	3	2	7	7	650	650	
8	पौड़ी गढवाल	शहर पौड़ी	1	2	-	1	-	1	1	52	52	तदैव
9		कल्जीखाल	1	2	-	-	1	1	1	60	60	तदैव
10		कोट	1	2	-	-	1	1	1	51	51	तदैव
11		खिर्सू	1	2	-	-	1	1	1	42	42	तदैव
12		दुगड्डा	1	4	1	1	-	1	1	112	112	तदैव
13		एकेश्वर	1	1	1	-	-	1	1	35	35	तदैव
14		पोखरा	1	1	1	-	-	1	1	29	29	तदैव
15		बीरोंखाल	1	3	1	-	-	1	1	64	64	तदैव
16		यमकेश्वर	1	2	1	-	-	1	1	41	41	तदैव

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	पौड़ी गढ़वाल	द्वारीखाल	1	2	1	—	—	1	1	44	44	तदैव
18		जयहरिखाल	1	2	1	—	—	1	1	57	57	तदैव
19		पावौ	1	2	1	—	—	1	1	387	387	तदैव
20		रिखणीखाल	1	1	1	—	—	1	1	34	34	तदैव
21		थीलसैण	1	2	1	—	—	1	1	51	51	तदैव
22		नैनीडाण्डा	1	2	1	—	—	1	1	40	40	तदैव
		योग	15	30	10	2	3	15	15	750	750	
23	टिहरी गढ़वाल	जखणीधार	1	2	—	1	—	1	1	40	40	तदैव
24		थत्यूड़	1	2	—	1	—	1	1	50	50	तदैव
25		कीर्तिनगर	1	2	—	—	1	1	1	53	53	तदैव
26		हिण्डोलाखाल	1	3	—	1	1	1	1	76	76	तदैव
27		चम्बा	1	3	—	—	—	1	1	78	78	तदैव
28		भिलंगना	1	4	1	—	—	1	1	104	104	तदैव
29		थौलधार	1	2	1	—	—	1	1	44	44	तदैव
30		प्रतापनगर	1	2	1	—	—	1	1	53	53	तदैव
31		नरेन्द्रनगर	1	2	1	—	—	1	1	61	61	तदैव
		योग	9	22	4	3	2	9	9	559	559	
32	रुद्रप्रयाग	जखोली	1	4	—	—	1	1	1	90	90	तदैव
33		अगस्तमुनि	1	5	1	—	—	1	1	121	121	तदैव
34		ऊखीमठ	1	2	1	—	—	1	1	39	39	तदैव
		योग	3	11	2		1	3	3	250	250	
35	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	1	2	—	1	—	1	1	53	53	तदैव
36		मोरी	1	2	—	1	—	1	1	36	36	तदैव
37		नौगांव	1	2	—	1	—	1	1	47	47	तदैव
38		पुरोला	1	2	—	1	—	1	1	50	50	तदैव
39		डुण्डा	1	3	—	1	—	1	1	75	75	तदैव
40		चिन्यालीसौड़	1	1	—	—	1	1	1	35	35	तदैव
		योग	6	12		5	1	6	6	296	296	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	चमोली	जोशीमठ	1	4	—	1	—	1	1	100	100	तदैव
42		थराली	1	2	—	1	—	1	1	40	40	तदैव
43		दशोली	1	2	—	—	1	1	1	46	46	तदैव
44		नारायणबगड़	1	3	—	—	1	1	1	63	63	तदैव
45		कर्णप्रयाग	1	1	1	—	—	1	1	30	30	तदैव
46		घाट	1	1	1	—	—	1	1	29	29	तदैव
47		देवाल	1	1	1	—	—	1	1	20	20	तदैव
48		पोखरी	1	2	1	—	—	1	1	47	47	तदैव
49		गैरसैण	1	2	1	—	—	1	1	51	51	तदैव
		योग	9	18	5	2	2	9	9	426	426	
50	हरिद्वार	नारसन	1	5	—	1	—	1	1	133	133	तदैव
51		भगवानपुर	1	6	—	1	—	1	1	140	140	तदैव
52		रूड़की	1	6	1	—	—	1	1	147	147	तदैव
53		बहादुराबाद	1	7	1	—	—	1	1	180	180	तदैव
54		लक्सर	1	4	1	—	—	1	1	109	109	तदैव
55		खानपुर	1	1	1	—	—	1	1	32	32	तदैव
56		हरिद्वार शहर	1	5	—	1	—	1	1	130	130	तदैव
		योग	7	34	4	3	-	7	7	971	971	
57	नैनीताल	रामगढ़	1	4	—	1	—	1	1	100	100	तदैव
58		रामनगर	1	3	—	—	1	1	1	79	79	तदैव
59		भीमताल	1	2	—	—	1	1	1	53	53	तदैव
60		बेतालघाट	1	1	1	—	—	1	1	35	35	तदैव
61		धारी	1	1	1	—	—	1	1	25	25	तदैव
62		ओखलाकाण्डा	1	2	1	—	—	1	1	38	38	तदैव
63		कोटाबाग	1	1	1	—	—	1	1	34	34	तदैव
64		हल्द्वानी ग्रा0	1	4	1	—	—	1	1	90	90	तदैव
65		हल्द्वानी शहर	1	3	—	1	—	1	1	75	75	तदैव
		योग	9	21	5	2	2	9	9	529	529	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	उधमसिंहनगर	खटीमा	1	4	—	—	1	1	1	98	98	तदैव
67		सितारगंज	1	5	—	1	—	1	1	137	137	तदैव
68		बाजपुर	1	3	—	1	—	1	1	80	80	तदैव
69		गदरपुर	1	4	—	1	—	1	1	104	104	तदैव
70		रुद्रपुर	1	4	1	—	—	1	1	109	109	तदैव
71		जसपुर	1	3	1	—	—	1	1	74	74	तदैव
72		काशीपुर ग्रामीण	1	2	1	—	—	1	1	58	58	तदैव
73		काशीपुर शहर	1	3	—	1	—	1	1	75	75	तदैव
		योग	8	28	3	4	1	8	8	735	735	
74	पिथौरागढ़	धारचूला	1	5	—	1	—	1	1	133	133	तदैव
75		विण	1	6	—	1	—	1	1	140	140	तदैव
76		बेरीनाग	1	6	1	—	—	1	1	147	147	तदैव
77		गंगोलीहाट	1	7	1	—	—	1	1	180	180	तदैव
78		कनालीछीना	1	4	1	—	—	1	1	109	109	तदैव
79		मुनस्यारी	1	1	1	—	—	1	1	32	32	तदैव
80		डीडीहाट	1	5	—	1	—	1	1	130	130	तदैव
81		मूनाकोट	1	2	1	—	—	1	1	46	46	तदैव
		योग	8	20	2	3	3	8	8	490	490	
82	अल्मोड़ा	सल्ट	1	3	—	1	—	1	1	73	73	तदैव
83		भैसियाछाना	1	1	1	—	—	1	1	34	34	तदैव
84		ताकुला	1	1	—	—	1	1	1	35	35	तदैव
85		द्वाराहाट	1	4	—	1	—	1	1	96	96	तदैव
86		चौखुटिया	1	2	1	—	—	1	1	50	50	तदैव
87		हवालबाग	1	3	1	—	—	1	1	64	64	तदैव
88		घौलादेवी	1	2	1	—	—	1	1	59	59	तदैव
89		ताड़ीखेत	1	4	—	—	1	1	1	101	101	तदैव
90		लमगड़ा	1	2	1	—	—	1	1	45	45	तदैव
91		स्याल्दे	1	2	1	—	—	1	1	50	50	तदैव
92		भिकियासेण	1	2	1	—	—	1	1	46	46	तदैव
		योग	11	26	7	2	2	11	11	653	653	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	बागेश्वर	बागेश्वर	1	5	—	1	—	1	1	117	117	तदैव
94		कपकोट	1	4	—	—	1	1	1	107	107	तदैव
95		गरुड़	1	2	1	—	—	1	1	60	60	तदैव
		योग	3	11	1	1	1	3	3	284	284	
96	चम्पावत	चम्पावत	1	2	1	—	—	1	1	133	133	तदैव
97		लोहाघाट	1	2	1	—	—	1	1	140	140	तदैव
98		पाटी	1	2	1	—	—	1	1	147	147	तदैव
99		बाराकोट	1	1	1	—	—	1	1	180	180	तदैव
		योग	4	7	4	-	-	4	4	165	165	
		माहयोग	99	266	49	30	20	99	99	6658	6658	

नियमित पदों की संख्या – 662

मानदेय आधारित पदों की संख्या – 13316

(हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005



अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत
17 मैनुअलों का संग्रह

मैनुअल संख्या – 2

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

उत्तराखण्ड सरकार

आई0सी0डी0एस0 के अन्तर्गत विभिन्न कार्मिकों के दायित्व

जिला कार्यक्रम अधिकारी

- जिला स्तरीय/राज्य स्तरीय तथा अन्य विभागीय बैठकों में भाग लेना तथा स्वयं जिला स्तर पर बैठकें आयोजित कर विभागीय प्रगति का अनुश्रवण।
- स्वास्थ्य विभाग के साथ प्रतिमाह जनपद एवं यथासम्भव विकासखण्ड स्तर पर आयोजित संयुक्त बैठकों में प्रतिभाग एवं प्रगति की समीक्षा करना।
- परियोजना के कार्य-कलापों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना तथा नियंत्रण रखना। प्रतिमाह 5 से 10 आंगनबाड़ी केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण साथ ही परियोजना कार्यालयों का निरीक्षण कर सुधारात्मक सुझाव एवं मार्गदर्शन देना।
- आहरण-वितरण का कार्य, निदेशालय स्तर से प्राप्त बजट का परियोजनाओं हेतु वितरण तथा उपभोग की कार्यवाही सम्पन्न करना।
- बाल विकास परियोजनाओं में आवश्यक सामग्री ताँगी पोषाहार की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- परियोजनाओं की सूचनाओं के आधार पर मासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार कर उसकी समीक्षा तथा यथा समय उसे निदेशालय में उपलब्ध कराना।
- कार्यक्रम में लोगो की सहभागिता को प्रेरित करने के लिये योजनायें बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना। परियोजना कार्यालयों की समस्याओं का निराकरण करना तथा निराकरण हेतु निदेशालय को अग्रसारित करना।
- अन्य कार्य : समय समय पर सक्षम स्तर द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।

बाल विकास परियोजना अधिकारी

- परियोजना स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन तथा दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करना।
- परियोजना स्टाफ की बैठकें लेना तथा प्रगति की समीक्षा करना। प्रतिमाह 10 से 15 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण तथा प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ संयुक्त भ्रमण करना।
- स्वास्थ्य विभाग के साथ प्रतिमाह जनपद एवं विकासखण्ड स्तर पर आयोजित संयुक्त बैठकों में प्रतिभाग एवं प्रगति की समीक्षा करना।
- परियोजना तथा आंगनबाड़ी केन्द्र दोनों स्तरों पर अभिलेखों का उचित रूप से रखरखाव सुनिश्चित करना तथा अभिलेखों का निरीक्षण करना।
- विभिन्न आपूर्तियों की अधिप्राप्ति, ढलाई भण्डारण और वितरण की आवश्यक व्यवस्था करना। इस उद्देश्य के लिये जिला स्तर के अधिकारियों से आवश्यक सम्पर्क बनाना।
- यह सुनिश्चित करना कि परियोजना में आपूर्त समस्त साज सामान और सामग्री की अभिलेखों में प्रविष्टियों की गयी है और इनका रखरखाव ठीक से सुनिश्चित करवाना।
- परियोजना और सेवाओं का समन्वित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक प्रयास करना। स्थानीय समुदायों की सहभागिता प्राप्त करने का प्रयास करना।

- परियोजना टीम के प्रमुख होने के नाते ब्लॉक मुख्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पंचायती राज संस्थाओं और उस क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों से कार्यात्मक सम्पर्क की व्यवस्था करना।
- मासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार कर निर्धारित समयान्तर्गत उच्चाधिकारियों को भेजने की व्यवस्था करना।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ती/सहायिकाओं के चयन की प्रक्रिया शासनादेश के अनुसार सम्पन्न कर उन्हें प्रशिक्षण हेतु नामित करना।
- अन्य कार्य : समय समय पर सक्षम स्तर द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।

मुख्य सेविका

- प्रशिक्षण तथा कार्य अपेक्षाओं के बीच की कमियों को दूर करने के लिये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनके कार्य के सम्बन्ध में लगातार मार्गदर्शन देना।
 - प्रतिमाह 15-20 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण, महिला स्वास्थ्य निरीक्षिका के साथ मिलकर हफ्ते में एक बार एक आंगनबाड़ी का निरीक्षण।
 - स्वास्थ्य विभाग के साथ प्रतिमाह विकासखण्ड एवं सेक्टर स्तर पर आयोजित संयुक्त बैठकों में प्रतिभाग एवं प्रगति की समीक्षा करना।
 - आंगनबाड़ी के दौरे उसे निम्नलिखित कार्य करने होंगे :-
1. घरेलू सर्वेक्षण करने में आंगनबाड़ी कार्यकर्तीओं का मार्गदर्शन करना, हर तिमाही में सर्वेक्षण के आंकड़ों को ठीक करना तथा परिवारों और उपयुक्त लाभार्थियों की सही सूची बनाना।
 2. सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर लाभार्थियों तथा गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को सूची में सम्मिलित करना।
 3. कुपोषित बच्चों की सही उम्र का पता लगाना उनका वनज लेना तथा वृद्धि चार्ट में वनज अंकित करने में कार्यकर्ती का मार्गदर्शन करना।
 4. खतरे की सीमा वाले बच्चों और माताओं का पता लगाना तथा उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या अस्पताल भेजने में कार्यकर्ती की मदद करना।
 5. गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों का स्वयं वनज करके उसके वनज की जांच करना तथा उसके स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिये कार्यकर्ती का मार्गदर्शन करना। पाठशाला-पूर्व गतिविधियाँ जैसे कहानी सुनाने की विधि का प्रदर्शन, खेलों का आयोजन, आकृतियों तथा रंगों की पहचान आदि के आयोजन में कार्यकर्ती का मार्गदर्शन करना।
 6. पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा दिवसों का आयोजन करवाना तथा इसमें कार्यकर्ती को मदद करना।
 7. कार्यकर्ती के अभिलेखों की जांच करना तथा सही तरीके से अभिलेखों के रखरखाव में कार्यकर्ती का मार्गदर्शन करना।
 8. आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की कार्य सम्बन्धी समस्याओं का पता लगाना तथा इन समस्याओं को सुलझाने में उनका मार्गदर्शन करना।
 9. अपने क्षेत्र की कार्यकर्तियों द्वारा दी गयी मासिक प्रगति रिपोर्ट संकलित कर बाल विकास परियोजना अधिकारी को समय से प्राप्त कराना।
 10. अपने क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती/सहायिकाओं की मासिक उपस्थिति मानदेय हेतु प्रस्तुत करना।

11. आंगनबाड़ी केन्द्रों की गतिविधियों में किशोरियों को शामिल करने और सेवाये देने में कार्यकर्ती का मार्गदर्शन करना।

➤ अन्य कार्य : समय समय पर सक्षम स्तर द्वारा सौंपें गये अन्य कार्य।

आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका

➤ समुदाय का सर्वेक्षण कर लाभार्थियों की सूची बनाना। जिस समुदाय को सेवायें प्रदान करनी है, उनका सर्वेक्षण करके पता लगाना कि उसमें छः वर्ष से कम आयु के बच्चों किशोरियों, गर्भवती महिलायें तथा दूध पिलाने वाली मातायें कितनी है।

➤ आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से विभिन्न लाभार्थियों को निम्न सेवायें प्रदान करना:-

✓ 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती/दूध पिलाने वाली माताओं को स्वास्थ्य जांच, संदर्भण एवं अनुपूरक पोषाहार।

✓ किशोरियों, गर्भवती/दूध पिलाने वाली माताओं को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा प्रदान करना।

✓ 03 से 06 वर्ष के बच्चों को स्कूल-पूर्व शिक्षा प्रदान करना।

✓ 05 वर्ष तक के समस्त बच्चों का टीकाकरण एवं वनज निगरानी।

➤ विवाहित महिलाओं को जनसंख्या नियंत्रण की जानकारी तथा सामुदायिक शिक्षा प्रदान करना।

➤ टीकाकरण/प्रतिरक्षण और स्वास्थ्य जांच में स्वास्थ्य कार्मिकों की मदद करना।

➤ गम्भीर रूप से अल्प पोषित/कुपोषित, बीमार और खतरे वाले बच्चों, छूत के रोगियों और विभिन्न प्रकार की कमियों वाले बच्चों को डॉक्टर के पास भेजना।

➤ रिकार्ड/रजिस्टर रखना खासकर वनज कार्ड, बाल स्वास्थ्य कार्ड, पूरक पोषाहार रिकार्ड, आंगनबाड़ी में उपस्थिति रिकार्ड आदि रखना।

➤ अनुपूरक पोषाहार पकाना और बच्चों को खिलाना।

➤ बच्चों के सम्पूर्ण विकास के लिये सरल खेल और सृजनात्मक गतिविधियों की व्यवस्था और आयोजन करना।

➤ आंगनबाड़ी में साज-सामान आदि की व्यवस्था करना।

➤ स्वास्थ्य विभाग के साथ प्रतिमाह सेक्टर स्तर पर आयोजित संयुक्त बैठक में प्रतिभाग एवं ए0एन0एम0 के साथ सांझा रणनीति तैयार करना।

➤ सहायिका प्रतिदिन आंगनबाड़ी केन्द्र के प्रांगण को साफ कर, गांव से छोटे बच्चों को इकट्ठा करते हुये उनकी उपरी साफ सफाई का ध्यान रखती है एवं आंगनबाड़ी केन्द्र पर पानी की व्यवस्था करती है।

अन्य कार्य: समय समय पर सक्षम स्तर द्वारा जारी निर्देशों का पालन।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005



अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत

17 मैनुअलों का संग्रह

मैनुअल संख्या – 3

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षक और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड सरकार

निर्णय प्रक्रिया की परिपाटी, पर्यवेक्षण तथा उत्तरदायित्व निर्धारण क चरण सम्मिलित करते हुए


आई0सी0डी0एस0: आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत निदेशक विभागाध्यक्ष हैं। अतः राज्य स्तरीय समस्त निर्णय निदेशक द्वारा लिये जाते हैं।

शासन स्तर पर लिये गये नीतिगत निर्णयों का जनपद स्तर पर अग्रसारण निदेशक आई0सी0डी0एस0 द्वारा ही किया जाता है। जनपद स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी निर्णय लेते हैं तथा आवश्यकतानुसार निदेशक से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। परियोजनाओं में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मुख्य सेविका से तथा मुख्य सेविकायें बाल विकास परियोजना अधिकारी से मार्गदर्शन प्राप्त करती हैं।

पर्यवेक्षण के चरण :

कर्मि	पर्यवेक्षण हेतु अधिकार क्षेत्र
निदेशक एवं निदेशालय में तैनात कर्मि	समस्त जिला कार्यक्रम कार्यालय, बाल विकास
जिला कार्यक्रम अधिकारी	अपने जनपद के समस्त बाल विकास परियोजना कार्यालय, मुख्य सेविका सैक्टर एवं आंगनबाड़ी केन्द्र
बाल विकास परियोजना अधिकारी	अपनी परियोजना के अन्तर्गत मुख्य सेविका सैक्टर एवं आंगनबाड़ी केन्द्र
मुख्य सेविका	अपने क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्र
आंगनबाड़ी कार्यकर्ती	आंगनबाड़ी केन्द्र का संचालन, पर्यवेक्षण एवं आंगनबाड़ी सहायिका का मार्गदर्शन


पर्यवेक्षण चार्ट :-



विनिश्चय करने की प्रक्रिया

प्रदेश स्तर पर योजना से संबंधित नियंत्रक अधिकारी योजना के सवाल संचालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश अनुश्रवण एवं प्रदेश स्तरीय लक्ष्यों का शतप्रशित पूर्ति कराना जनपद/मण्डल स्तर की कठिनाईयों का त्वरित निराकरण	निदेशक तथा निदेशक के आदेश पर कार्यक्रम अधिकारी निदेशालय
जनपद स्तर	जिला कार्यक्रम अधिकारी
विकासखण्ड परियोजना स्तर	बाल विकास परियोजना अधिकारी
सैक्टर	मुख्य सेविका
ग्राम्य/वार्ड स्तर	कार्यकर्ती एवं सहायिका

उत्तरदायित्व चार्ट



प्रेषिक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तरांचल शासन, देहरादून।

सेवा में,

निदेशक,
आई0सी0डी0एस0,
उत्तरांचल देहरादून।

महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास अनुभाग, देहरादून : दिनांक : 22 अक्टूबर 2005
विषय : आंगनबाड़ी कार्यकर्ती तथा सहायिका के कर्तव्य एवं दायित्व के सम्बन्ध में।

महोदय,

महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या 1-8/2003-सी0डी0-1 दिनांक 14 जुलाई 2005 एवं दिनांक 12 सितम्बर 2005 के क्रम में कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं के कर्तव्य एवं दायित्व संलग्नक के अनुसार निर्धारित किये गये जाते हैं।

कृपया कर्तव्य एवं दायित्वों की प्रति समस्त कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं को प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव

संख्या : _____ / XVII (2) / 2005 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तरांचल देहरादून।
2. निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तरांचल देहरादून।
3. समस्त जिलाधिकारी / जिला कार्यक्रम अधिकारी उत्तरांचल।

आज्ञा से

(हेमलता ढौडियाल)
अपर सचिव

आंगनबाड़ी कार्यकर्ती तथा सहायिका के कर्तव्य एवं दायित्व

महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या 1-8/2003-सी0डी0-1 दिनांक 14 जुलाई 2005 एवं दिनांक 12 सितम्बर 2005 द्वारा निर्धारित कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं के कर्तव्य एवं दायित्व।

कार्यकर्ती के कर्तव्य एवं दायित्व

1. आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम के संचालनार्थ समुदाय का सहयोग एवं सहभागिता सुनिश्चित करना।
2. माह में एक बार समस्त बालको का वनज मापन, ग्रोथ चार्ट में वनज का अंकन, सन्दर्भ कार्ड का उपयोग करते हुये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ए0एन0एम0 उपकेन्द्र पर महिलाओं/बालकों का सन्दर्भण 06 वर्ष तक के बालको हेतु बाल-कार्ड को रखवा एवं स्वास्थ्य तथा अर्द्ध-स्वास्थ्य कर्मियों के भ्रमण के समय उसे प्रस्तुत करना।
3. वर्ष में एक बार अपने क्षेत्र के समस्त परिवारों का तीव्र सर्वेक्षण करना, उन परिवारों में विशेषकर माताओं तथा बालकों का चिन्हांकन करना।
4. आंगनबाड़ी केन्द्र पर 03-06 वर्ष के बालकों हेतु अनौपचारिक स्कूल-पूर्व गतिविधियों का आयोजन करना। आंगनबाड़ी में उपयोग करने हेतु स्थानीय क्षेत्र एवं संस्कृति के आधार पर खिलौनों की बनावट तथा खेल सामग्री बनाने में सहयोग करना।
5. स्थानीय उपलब्ध खाद्य पदार्थों तथा व्यंजनों के आधार पर भोजन सारिणी तैयार करना तथा 06 वर्ष तक के बालकों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं हेतु अनुपूरक पोषाहार का आयोजन करना।
6. माताओं को स्वपास्थ्य एवं पोषण शिक्षा के साथ स्तनपान/शिशु एवं बाल आहार पद्धतियों पर परामर्श देना। समुदाय के निकट होने के कारण परिवार नियोजन/जन्म नियंत्रण के साधनों के उपयोग के संबंध में कार्यकर्ती विवाहित महिलाओं को प्रेरित कर सकती है।
7. प्रतिमाह जन्में बालकों की सूचना अपने क्षेत्र के अन्तर्गत जन्म एवं मृत्यु रजिस्टार/उपरजिस्टार द्वारा अधिकृत व्यक्ति ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/ग्राम सभा सेवक/ए0एन0एम0 को प्राप्त कराना।
8. अभिभावकों को शिक्षित करने हेतु गृह भ्रमण करना एवं बालकें, विशेषकर नवजात शिशुओं, की वृद्धि एवं विकास में प्रभावी भूमिका निभाने हेतु माताओं को तैयार करना।
9. निर्देशानुसार पत्रावलियों एवं अभिलेखों का रखरखाव करना।
10. कार्यक्रम के स्वास्थ्य सम्बन्धी घटक जैसे प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जाँच आदि के आयोजन में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के कर्मियों का सहयोग करना।
11. आई0सफ0ए0 की गोलियों तथा विटामिन-ए घोल के वितरण में ए0एन0एम0 को सहयोग करना एवं आंगनबाड़ी केन्द्र पर दानों दवाओं का रखरखाव करना। आंगनबाड़ी केन्द्र की स्टोक पंजिका में उक्त दवाओं का अंकन नहीं किया जायेगा क्योंकि इससे कार्यकर्ती के कार्यों में बढ़ोत्तरी होगी और उसके मूल कार्य प्रभावित होंगे।
12. आई0सी0डी0एस0 के अन्तर्गत एकत्रित सूचनाओं को ए0एन0एम0 को प्रदान करना, परन्तु कार्यकर्ती के अभिलेखों पर ही ए0एन0एम0 पूर्णतः आश्रित नहीं रहेगी।
13. क्षेत्रीय परियोजना अधिकारी/मुख्य सेविका के संज्ञान में उनके ध्यानाकर्षण एवं हस्तक्षेप योग्य जानकारी लाना, विशेषकर विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित कराना।

14. अन्य संस्थाओं (महिला मण्डल) से सम्पर्क स्थापित करना तथा प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों की अध्यापिकाओं एवं बालिकाओं का अपने कार्यों में सहयोग प्राप्त करना।
15. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत तैनात "आशा" को स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं तथा आई0सी0डी0एस0 के अभिलेखों के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करना।
16. किशोरी शक्ति योजना के संचालन में सहयोग देना। साथ ही किशारियों, अभिभावकों तथा जनसमुदाय को प्रेरित एवं शिक्षित करने हेतु सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों/कैम्प का आयोजन करना।
17. किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कार्यकर्तियां निर्देशानुसार सहयोग प्रदान करेंगी तथा अभिलेखों को तैयार करेंगी।
18. आर0सी0एच0 किट/परिवार नियोजन के साधनों/प्रसव किट आदि के डिपों होल्डर का कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कर सकती हैं परन्तु ओवर द काउन्टर दवाओं को छोड़कर किटों के वितरण तथा अन्य दवाओं को देने का कार्य स्वपास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्णयानुसार ए0एन0एम0 अथवा आशा द्वारा ही किया जायेगा।
19. गृह भ्रमण के समय बालकों में निःशक्तता का चिन्हीकरण तथा उन्हें तत्काल निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा जिला निशक्तता पुर्नस्थापन केन्द्र पर सन्दर्भित करना।
20. पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम के आयोजन में सहयोग प्रदान करना।
21. डायरिया, हैजा जैसी आपातकालीन स्थिति की जानकारी तत्काल ए0एन0एम0 को देना।
22. विधिक जानकारी के प्रति जन समुदाय को जागरूक एवं प्रोत्साहित करना।

आंगनबाड़ी सहायिका के कर्तव्य एवं दायित्व

1. बालकों एवं माताओं का भोजन पकाकर परोसना।
2. प्रतिदिन आंगनबाड़ी भवन की सफाई तथा पानी का प्रबन्ध।
3. छोटे बालकों की सफाई।
4. आंगनबाड़ी क्षेत्र के छोटे बालकों को आंगनबाड़ी केन्द्र पर लाना।

निदेशालय
आई०सी०डी०एस०
उत्तरांचल

संख्या: 196-97 देहरादून, दिनांक 21 मई, 2002

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/
प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तरांचल

विषय: आंगनबाड़ी केन्द्र निरीक्षण संबंधी दिशानिर्देश।

आई०सी०डी०एस० महिलाओं और बच्चों के समेकित विकास की अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना हैं आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से छः सेवायें समेकित रूप में 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती/घात्री महिलाओं को प्रदान की जाती हैं चूंकि आंगनबाड़ी केन्द्र हमारी योजना के आधार स्तंभ हैं, अतः इनका उच्च गुणवत्ता पूर्ण ढंग से संचालन किया जाना आवश्यक है। आंगनबाड़ी केन्द्रों के सुचारु संचालन से योजना की समुदाय में मांग बढ़ेगी, साथ ही आई०सी०डी०एस० की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। केन्द्रों के सुचारु संचालन हेतु उनका नियमित एवं सार्थक निरीक्षण किया जाना आवश्यक है।

राज्य स्तरीय समीक्षा बैठकों में यह बिन्दु उभर कर आया है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण की स्थिति संतोषजनक नहीं हैं केन्द्र निरीक्षण की मुख्य कमियां निम्नवत् हैं:-

1. आंगनबाड़ी केन्द्र का निरीक्षण वस्तुनिष्ठ प्रणाली से नहीं किया जाता है।
2. निरीक्षण आंगनबाड़ी केन्द्र की सम्पूर्ण व्यवस्था का न होकर मात्र रजिस्टर एवं लाभार्थी संख्या की गणना तक सीमित रहता है।
3. अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण नहीं किये जाते हैं, चिकित्सा विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण की स्थिति प्रायः समस्त जनपदों में शून्य हैं
4. निरीक्षण के लिये केन्द्रों का रोस्टर नहीं बनाया जाता है। फलस्वरूप वर्ष में कुछ केन्द्र बार-बार निरीक्षित होते हैं एवं कतिपय केन्द्रों का कोई निरीक्षण नहीं हो पाता है।
5. मुख्य सेविका के भ्रमण कार्यक्रम की क्रॉस चैकिंग डी०पी०ओ०/सी०डी०पी०ओ० द्वारा बहुत कम हो रही है
6. दूरस्थ/दुर्गम क्षेत्रों में स्थित केन्द्रों का निरीक्षण लगभग नगण्य है।
7. भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृति कराने की लम्बी प्रक्रिया के चलते निरीक्षण हेतु कार्य दिवस काफी कम रह जाते हैं।
8. डी०पी०ओ०/सी०डी०पी०ओ०/सुपरवाइजर वर्गों में कार्य क्षेत्र दिवसों की संख्या एक जनपद से दूसरे जनपद में दूसरे जनपद में असमान रहती है।

उपरोक्त त्रैमासिक भ्रमण कार्यक्रम में केंद्रों की स्थिति एवं माह का वर्णन अंकित होगा। इसी के आधार पर प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में आगामी माह का तिथिवार मासिक-भ्रमण कार्यक्रम सक्षम स्तर पर स्वीकृत कराया जायेगा समस्त जनपदों के मासिक-भ्रमण कार्यक्रमों की प्रति मासिक बैठकों में निदेशक का अवलोकित कराई जायेगी।

4. **वास्तविक निरीक्षण कार्यक्रम प्रपत्र :-** प्रत्येक माह मुख्य सेविका व बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा किये गये वास्तविक निरीक्षणों की सूचना वास्तविक निरीक्षण कार्यक्रम प्रपत्र पर बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा। प्रारूप निम्नवत् है :-

वास्तविक निरीक्षण कार्यक्रम प्रपत्र

परियोजना का नाम :

माह :

वर्ष :

क्र० स०	केंद्र का नाम	केंद्र की स्थिति सुगम/दूरस्थ/दुर्ग म	बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा निरीक्षण केंद्र	मुख्य सेविकाओं द्वारा सैक्टरवार निरीक्षण केंद्र			
				सैक्टर व मुख्य सेविका का नाम	सैक्टर व मुख्य सेविका का नाम	सैक्टर व मुख्य सेविका का नाम	सैक्टर व मुख्य सेविका का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8

5. बाल विकास परियोजना अधिकारी आधे से ज्यादा निरीक्षण मुख्य सेविका के साथ संयुक्त रूप में करेंगे। संयुक्त निरीक्षणों में दूरस्थ एवं दुर्गम केंद्रों को विशेष रूप से सम्मिलित किया जायेगा।
6. प्रत्येक माह एक दुर्गम केंद्र (5 कि०मी० से अधिक पैदल) का निरीक्षण प्रत्येक मुख्य सेविका एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से किया जायेगा। जिस माह दुर्गम केंद्र निरीक्षण नहीं किया जायेगा उसके अगले माह दो केंद्र निरीक्षण करने होंगे। प्रत्येक माह सुगम/दूरस्थ एवं दुर्गम तीनों श्रेणियों के केंद्रों का निरीक्षण किया जाना अनिवार्य होगा।
7. मुख्य सेविका के भ्रमण कार्यक्रम में परिवर्तन, विशेष परिस्थितियों में, बाल विकास परियोजना अधिकारी की लिखित अनुमति पर मान्य होगा।
8. बाल विकास परियोजना अधिकारी का भ्रमण कार्यक्रम प्रति माह परियोजना के प्रत्येक सैक्टर को आच्छादित करेगा।

5. गृह भ्रमण संबंधी दिशानिर्देश अलग से प्रेषित किये जा रहे हैं। फिलहाल कार्यकर्त्री एवं निरीक्षण अधिकारियों के गृह भ्रमण व्यवस्थित किये जायें, जिनमें महिलाओं, किशारियों एवं बच्चों के स्तर की जानकारी के आधार पर विषयवार वार्ता की जायेगी।

उपरोक्त दिशा-निर्देशों की छाया-प्रति समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं मुख्य सेविकाओं को प्राप्त कराते हुये इनकी कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित किया जाये।

(मनीष पंवार)
निदेशक,
आई०सी०डी०एस०

पृष्ठांकन संख्या : 196-97/2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :- सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, उत्तरांचल शासन की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
आई०सी०डी०एस०

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005



अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत

17 मैनुअलों का संग्रह

मैनुअल संख्या – 4

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

उत्तराखण्ड सरकार

अध्याय-चार

कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित मानक

★ आई0सी0डी0एस0 के मानकों के आधार पर लाभार्थियों को अनुपूरक पोषाहार के माध्यम से वर्ष में 300 दिवसों हेतु निम्नानुसार कैलोरी एवं प्रोटीन प्रदान किये जाते हैं :-

लाभार्थी वर्ग	किलो कैलोरी	प्रोटीन
6 माह से 6 वर्ष के बालक	300	8-10 ग्राम
अति कुपोषित बालक	उपरोक्त से दोगुना	
गर्भवती / धात्री महिला / किशोरी	500	20-25 ग्राम

क्षेत्र भ्रमण के मासिक मानक :-

जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा 5-10 दिन, बाल विकास अधिकारी द्वारा 10-15 दिन, एवं मुख्य सेविका द्वारा 15-20 दिन प्रति माह क्षेत्र भ्रमण किया जाना अनिवार्य होगा।

लाभार्थी बजटीय मानक

महिला एवं बाल विकास भारत शासन का पत्रांक F.No. 19-5/2003-CD-1(Pt) dated 19th October, 2004. के अनुसार अनुपूरक पोषाहार संबंधी प्रति दिन की लागत संबंधी वित्तीय मानक निम्नानुसार निर्धारित किये गये हैं :-

लाभार्थी	संसोधित दर
1. बालक (06 माह से 72 महीने)	2 रूपया प्रति बालक / प्रति दिन
2. कुपोषित बालक (06 माह से 72 महीने)	2.70 पैसे प्रति बालक / प्रति दिन
3. गर्भवती माता / धात्री माता एवं किशोरी बालिका (के0एस0वाई0 के अनुसार)	2.30 पैसे प्रति लाभार्थी / प्रति दिन

आई0सी0डी0एस0 के अंतर्गत विभिन्न मदों हेतु वित्तीय मानक निम्नानुसार भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये हैं।

मद	वार्षिक सीमा
आगनवाडी केन्द्र हेतु कंटेजेसी	600 रु0 प्रति वर्ष
परियोजना कार्यालय हेतु कंटेजेसी	30000 रु0 प्रति वर्ष
जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय हेतु कंटेजेसी	50000 रु0 प्रति वर्ष
निदेशालय हेतु कंटेजेसी	80000 रु0 प्रति वर्ष
परियोजना कार्यालय हेतु पी0ओ0एल0	50000 रु0 प्रति वर्ष
जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय हेतु पी0ओ0एल0	50000 रु0 प्रति वर्ष
निदेशालय हेतु पी0ओ0एल0	60000 रु0 प्रति वर्ष

आई0सी0डी0एस0 के अंतर्गत अनुश्रवण एंव मूल्यांकन	200 रू0 प्रति संचालित आगनबाडी केन्द्र प्रति वर्ष
आई0सी0डी0एस0 के अंतर्गत आई0ई0सी0 गतिविधिया	25000 रू0 प्रति परियोजना प्रति वर्ष
आगनबाडी कार्यकर्ती राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना	रू0 5000 प्रति आगनवाडी केन्द्र प्रति वर्ष की दर से 22 कार्यकर्तियो हेतु
किशोरी शक्ति योजना	रू0 1.10 लाख प्रति परियाजना
मेडिसिन किट	600 रू0 प्रति आगनवाडी केन्द्र प्रति वर्ष
स्कूल पूर्व शिक्षा किट	500 रू0 प्रति आगनवाडी केन्द्र प्रति वर्ष

प्रेषक,

निदेशक,
आई0सी0डी0एस0,
उत्तरांचल, देहरादून।



सेवा में,

संयुक्त निदेशक,
बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

पत्रांक C-1074/बीस सूत्रीय कार्यक्रम – 246

विषय: बीस सूत्रीय कार्यक्रम वर्ष 2005–06 के भौतिक लक्ष्य।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक संख्या 122/20 सू0का0 (लक्ष्य) दिनांक 23 जून 2005 का संदर्भ ग्रहण करें। जिसके क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार से वर्ष 2005–06 के लक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुये हैं। अतः आपके पत्र द्वारा ज्ञात हुआ है कि सांख्यिकीय एंव कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनांक 11.10.2005 टी0पी0पी0 दिनांक 14 जून 2005 द्वारा प्राप्त लक्ष्य पूर्व की भांति ही है। अतः लक्ष्यों की फांट जनपदवार निम्नानुसार सुनिश्चित किये गये है :-

क्र0स0	जनपद का नाम	समन्वित बाल विकास केन्द्रों की स्थापना (संचयी)	आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना (संचयी)
1	देहरादून	7	650
2	हरिद्वार	7	871
3	चमोली	9	426
4	पौड़ी गढ़वाल	15	750
5	उधमसिंहनगर	8	735
6	नैनीताल	9	529
7	पिथौरागढ़	8	490
8	टिहरी गढ़वाल	9	559
9	रूद्रप्रयाग	3	250
10	उत्तरकाशी	6	296
11	अल्मोड़ा	11	653
12	बागेश्वर	3	284
13	चम्पावत	4	165
	योग	99	6658

भवदीय,

(हेमलता ढौंडियाल)
निदेशक

प्रेषक,

निदेशक,
आई0सी0डी0एस0,
उत्तरांचल, देहरादून।



सेवा में,

संयुक्त निदेशक,
बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

पत्रांक 1390-91 / बीस सूत्रीय कार्यक्रम / लक्ष्य / 2006-2007

विषय: बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अर्न्तगत जनपद वार लक्ष्य आंवटन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक संख्या 168 / 20 सू0का0 (लक्ष्य) 2006-2007 दिनांक 25 जुलाई 2006 के क्रम में जनपदवार लक्ष्य निम्नानुसार निर्धारित किये जा रहें हैं :-

क्र0स0	जनपद का नाम	समन्वित बाल विकास केन्द्रों की स्थापना (संचयी)	आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना (संचयी)
1	देहरादून	7	789
2	हरिद्वार	7	1127
3	चमोली	9	453
4	पौड़ी गढ़वाल	15	809
5	उधमसिंहनगर	8	1043
6	नैनीताल	9	602
7	पिथौरागढ़	8	539
8	टिहरी गढ़वाल	9	621
9	रूद्रप्रयाग	3	258
10	उत्तरकाशी	6	327
11	अल्मोड़ा	11	722
12	बागेश्वर	3	296
13	चम्पावत	4	206
	योग	99	7792

भवदीय,

(हेमलता ढौंडियाल)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :- 1. सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास उत्तरांचल शासन।

निदेशक

“सशक्त महिला सशक्त समाज”

प्रेषक,

संख्या : 1166 / XVII (2) / 2006

सचिव,
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास,
उत्तरांचल, देहरादून।

सेवा में,

निदेशक,
आई0सी0डी0एस0,
उत्तरांचल, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग

देहरादून : दिनांक 21 दिसम्बर 2006

विषय: मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र सम्बन्धी दिशानिर्देश।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 1-9/96-CD-1 दिनांक 25 जून 1996 तथा 14-3/2006-CDI दिनांक 15 दिसम्बर 2006 के संदर्भ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समन्वित बाल विकास सेवायें कार्यक्रम के अन्तर्गत मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालनार्थ निम्नांकित दिशानिर्देश निर्धारित किये जाते हैं :-

1. प्रत्येक मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र पर 01 मिनी कार्यकर्ती मानदेय कर्मी के रूप में तैनात की जायेगी।
2. मिनी कार्यकर्ती के चयन सम्बन्धी अर्हतायें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के समान होंगी। मानदेय सेवा से जुड़ी विशिष्ट शर्तें/नियम समय-समय पर जारी किये जायेंगे।
3. मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र पर समस्त छः वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं तथा किशोरियों व पंजीकरण सर्वे के आधार पर किया जायेगा। समस्त लाभार्थियों का आंगनबाड़ी केन्द्र की भांति सुविधा प्रदान की जायेगी।
4. प्रत्येक मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र को निकटतम नियमित आंगनबाड़ी केन्द्र से जोड़ा जायेगा, जहाँ वह कार्यकर्ती द्वारा मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र की वर्कर को मार्गदर्शन प्रदान किया जायेगा।
5. मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र की कार्यकर्ती को भारतसरकार द्वारा प्रतिमाह रू0 500.00 मानदेय प्रदान किया जायेगा।
6. मिनी आंगनबाड़ी भवन हेतु रू0 200.00 प्रतिमाह की दर से भवन किराया अनुमन्य होगा।
7. एक मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु रू0 300.00 की दर से मेडीसिन किट तथा रू0 250.00 की दर प्री-स्कूल किट वार्षिक आधार पर प्रदान की जायेगी।
8. एक मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र का रू0 25.00 प्रतिमाह आनुसंगिक व्यय तथा रू0 100.00 वार्षिक स्टेशन हेतु आवर्तक व्यय के रूप में अनुमान्य होंगे।
9. मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र पर अनावर्तक व्यय के रूप में कुकड फूड सम्बन्धी बर्तन आदि तथा बिन पैलेट हेतु कुल रू0 3000.00 प्रदान किये जायेंगे।
10. मिनी कार्यकर्ती द्वारा समस्त गतिविधियों से सम्बन्धित पंजिकाओं को अद्यतन रखा जायेगा।
11. शतप्रतिशत टीकारण, प्रसव पूर्व तथा प्रसवोपरान्त सेवाओं की प्रदायगी हेतु मिनी कार्यकर्ती तथा सम्बद्ध आंगनबाड़ी केन्द्र की कार्यकर्ती द्वारा ए0एन0एम0 एवं आशा से समन्वय किया जायेगा।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव

“ महिला सशक्तिकरण वर्ष – 2006 ”

Details of additional AWCs/Mini AWCs sanctioned in existing Projects

S. No.	District	Name of the Projects	Nature of the Porject (R/U/T)	No. of additional AWCs sanctioned	No. of Mini AWCs sanctioned	No. of additional Supervisors
1	2	3	4	6	8	9
1	Dehradun	Chakrata	T	20	10	1
2	Dehradun	Kalsi	T	18	9	1
3	Dehradun	Vikasnagar	R	3	2	0
4	Dehradun	Doiwala	R	56	12	0
5	Dehradun	Raipur	R	20	4	1
6	Dehradun	Sahaspur	R	2	7	0
7	Haridwar	Roorkee	R	240	9	6
8	Haridwar	Bahadrabad	R	247	13	7
9	Haridwar	Bagwanpur	R	180	8	6
10	Haridwar	Narsan	R	143	10	4
11	Haridwar	Lakshar	R	133	9	5
12	Haridwar	Khanpur	R	27	14	2
13	Chamoli	Ghat	R	6	37	1
14	Chamoli	Deval	R	11	11	1
15	Chamoli	Gairsyan	R	11	71	0
16	Chamoli	Joshimath	R	0	10	0
17	Chamoli	Tharali	R	10	27	0
18	Chamoli	Dashauli	R	0	27	0
19	Chamoli	Narayanbagar	R	1	20	0
20	Chamoli	Karanprayag	R	6	50	1
21	Chamoli	Pokhari	R	2	22	1
22	Pauri	Akeshwar	R	1	42	1
23	Pauri	Pokhra	R	0	26	0
24	Pauri	Yamkeswar	R	3	36	0
25	Pauri	Dwarikhal	R	0	47	0
26	Pauri	Pavo	R	1	21	0
27	Pauri	Rikhanikhal	R	1	36	0
28	Pauri	Thalishan	R	10	18	0
29	Pauri	Naine Danda	R	0	44	0
30	Pauri	Pauri	R	0	10	0
31	Pauri	Kaljikkhal	R	0	21	0
32	Pauri	Duggada	R	17	0	0
33	Pauri	Khirsu	R	0	3	0
34	Pauri	Kot	R	0	15	0
35	Pauri	Beerokhal	R	0	35	0
36	Pauri	Jayaharikhal	R	0	13	0

Details of additional AWCs/Mini AWCs sanctioned in existing Projects

S. No.	District	Name of the Projects	Nature of the Project (R/U/T)	No. of additional AWCs sanctioned	No. of Mini AWCs sanctioned	No. of additional Supervisors
1	2	3	4	6	8	9
37	Rudraprayag	Ukhimath	R	0	17	0
38	Rudraprayag	Jakholi	R	6	40	0
39	Rudraprayag	Augstmuni	R	0	11	0
40	Udhamsingh Nagar	Khatima	R	28	0	0
41	Udhamsingh Nagar	Sitarganj	T	18	14	0
42	Udhamsingh Nagar	Bazpur	T	25	9	1
43	Udhamsingh Nagar	Gaharpur	T	31	20	1
44	Udhamsingh Nagar	Jaspur	R	27	18	0
45	Udhamsingh Nagar	Kashipur	T	20	15	1
46	Udhamsingh Nagar	Rudrapur-Kitcha	R	42	27	1
47	Nainital	Ramnagar		5	19	0
48	Nainital	Betalghat	R	3	21	1
49	Nainital	Dhari	T	0	0	0
50	Nainital	Okhalkanda	T	0	3	0
51	Nainital	Kotabag	T	8	21	1
52	Nainital	Haldwani	T	27	28	0
53	Nainital	Bhimtal	T	1	18	0
54	Nainital	Ramgarh	T	27	2	1
55	Pithoragarh	Haldwani City	U	8	0	0
56	Pithoragarh	Dharchula	T	5	11	1
57	Pithoragarh	Gangolihat	R	8	63	1
58	Pithoragarh	Munsyari	R	5	27	1
59	Pithoragarh	Dedehat	R	4	33	1
60	Pithoragarh	Munakot	R	6	21	0
61	Pithoragarh	Pithoragarh	R	7	27	0
62	Pithoragarh	Berinag	R	1	17	0
63	Pithoragarh	Kanalichina	R	4	23	0
64	Pithoragarh	Thatur	R	6	14	0
65	Tehri	Jakhnidhar	R	34	59	2
66	Tehri	Bhilangana	R	8	63	1
67	Tehri	Thauidhar	R	9	45	0
68	Tehri	Pratapnagar	R	10	82	2
69	Tehri	Narandra Nagar	R	2	36	0
70	Tehri	Kritinagar	R	7	8	0
71	Tehri	Hindolakhhal	R	4	54	0
72	Tehri	Chamba	R	5	68	0

Details of additional AWCs/Mini AWCs sanctioned in existing Projects

S. No.	District	Name of the Projects	Nature of the Porject (R/U/T)	No. of additional AWCs sanctioned	No. of Mini AWCs sanctioned	No. of additional Supervisors
1	2	3	4	6	8	9
73	Uttarkashi	Nogaon	R	17	58	1
74	Uttarkashi	Chainayali Sour	R	10	19	1
75	Uttarkashi	Mori	R	10	0	0
76	Uttarkashi	Purola	R	10	15	1
77	Uttarkashi	Dunda	R	25	25	1
78	Uttarkashi	Bhatwari	R	10	36	1
79	Almora	Salt	R	6	42	1
80	Almora	Takula	R	1	42	0
81	Almora	Chakotiya	R	0	36	1
82	Almora	Hawalabagh	R	0	58	0
83	Almora	Dholadevi	R	0	50	1
84	Almora	Bhekiyasain	R	3	30	0
85	Almora	Lamgara	R	0	63	0
86	Almora	Syaldy	R	0	32	1
87	Almora	Bhaisyachhana	R	1	30	0
88	Almora	Dwarahat	R	6	51	0
89	Almora	Tarikhhet	R	6	54	0
90	Bageshwar	Garur Baijnath	R	25	52	2
91	Bageshwar	Bageshwar	R	41	55	1
92	Bageshwar	Kapkot	R	29	46	2
93	Champavat	Champawat	R	49	77	3
94	Champavat	Lohaghat	R	19	37	1
95	Champavat	Barakot	R	12	35	1
96	Champavat	Pati	R	22	49	1
	Total			1872	2676	75

FORMAT-1
MONTHLY PROJECT REPORT MONTH OF MARCH – 2007

S.No.	District	Name of Project Block/Tribal &	of the	AWCs	AWCs	AWCs	No. of CDPOs/ACDPOs		No. of Supervisors		No. of AWWs		No. of AWHs	
		Municipality	ICDS	Sanctioned	Operational	Reporting	Sanctioned	Inposition	Sanctioned	Inposition	Sanctioned	Inposition	Sanctioned	Inposition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1-	Dehradun	Chakrata	T	78	78	76	1	1	5	4	78	77	78	74
		Kalsi	T	78	78	77	1	1	5	3	78	76	78	72
		Sahaspur	R	160	160	160	1	1	6	6	160	155	160	160
		Dehradun City	U	108	108	108	1	1	4	4	108	108	108	107
		Doiwala	R	103	103	103	1	1	6	6	103	103	103	102
		Vikasnagar	R	143	143	143	1	1	4	4	143	143	143	142
		Raipur	R	119	119	114	1	1	6	6	119	114	119	106
		Total		789	789	781	7	7	36	33	789	776	789	763
2-	Haridwar	Roorkee	R	226	225	225	1	1	17	9	226	226	226	226
		Bahadrabad	R	225	223	223	1	1	16	7	225	220	225	216
		Bhagwanpur	R	171	170	170	1	1	14	6	171	169	171	160
		Narsan	R	226	212	212	1	1	15	7	226	208	226	192
		Lakshar	R	139	138	138	1	1	10	4	139	137	139	138
		Khanpur	R	41	41	41	1	1	3	1	41	40	41	41
		Haridwar City	U	99	99	99	1	1	5	5	99	97	99	99
		Total		1127	1108	1108	7	7	80	39	1127	1097	1127	1072
3-	Chamoli	Joshimath	R	103	103	103	1	0	4	4	103	97	103	99
		Tharali	R	40	40	40	1	0	2	2	40	40	40	40
		Dashauli	R	63	63	63	1	1	2	2	63	62	63	62
		Narayanbagar	R	49	49	49	1	0	3	2	49	48	49	47
		Karnprayag	R	47	47	47	1	1	2	1	47	46	47	47
		Ghat	R	32	32	32	1	0	2	1	32	32	32	31
		Deval	R	34	34	34	1	0	2	1	34	33	34	32
		Pokhari	R	61	61	61	1	0	3	2	61	57	61	54
		Gairsyan	R	24	24	24	1	1	2	2	24	23	24	23
Total		453	453	453	9	3	22	17	453	438	453	435		
4-	Pauri	Pauri	R	59	59	59	1	0	3	2	59	59	59	58
		Kaljikkhal	R	60	60	60	1	1	3	2	60	60	60	60
		Dugadda	R	114	114	114	1	1	4	4	114	113	114	111
		Khrisu	R	43	43	43	1	0	2	2	43	43	43	42
		Kot	R	51	51	51	1	0	2	2	51	51	51	51
		Akeshwar	R	40	40	40	1	1	1	1	40	40	40	40
		Pokhra	R	31	31	31	1	0	1	1	31	31	31	30
		Beerokhal	R	64	64	64	1	1	3	3	64	62	64	64
		Yamkeshwar	R	48	48	48	1	1	2	2	48	48	48	48
		Dwarikkhal	R	52	52	52	1	1	2	2	52	51	52	51
		Jayaharikhal	R	57	57	57	1	0	2	2	57	56	57	57
		Pavo	R	45	45	45	1	1	2	2	45	44	45	43
		Rikhanikkhal	R	40	40	40	1	0	1	1	40	40	40	37
		Thalishan	R	60	60	60	1	0	3	3	60	60	60	59
		Naine Danda	R	45	45	45	1	0	2	2	45	44	45	44
Total		809	809	809	15	7	33	31	809	802	809	795		

S.No.	District	Name of Project Block/Tribal &	of the	AWCs	AWCs	AWCs	No. of CDPOs/ACDPOs		No. of Supervisors		No. of AWWs		No. of AWHs	
		Municipality	ICDS	Sanctioned	Operational	Reporting	Sanctioned	Inposition	Sanctioned	Inposition	Sanctioned	Inposition	Sanctioned	Inposition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5-	Udhamsingh Nagar	Khatima	T	135	135	135	1	1	6	6	135	135	135	131
		Sitarganj	T	193	190	193	1	1	8	7	193	189	193	181
		Bazpur	R	127	121	127	1	1	6	4	127	120	127	116
		Gaderpur	R	132	132	132	1	1	6	4	132	130	132	131
		Rudrapur	R	170	170	170	1	1	8	7	170	169	170	168
		Jaspur	R	112	109	108	1	1	5	5	112	106	112	107
		Kashipur (R)	R	99	89	88	1	1	5	4	99	86	99	84
		Kashipur City	U	75	75	75	1	1	3	3	75	75	75	74
		Total		1043	1021	1019	8	8	47	40	1043	1010	1043	992
6-	Nainital	Bhimtal	R	57	57	57	1	1	2	2	57	56	57	56
		Ramgarh	R	100	100	100	1	1	5	4	100	90	100	90
		Ramnagar	R	106	106	106	1	1	4	4	106	103	106	102
		Betalghat	R	42	42	42	1	1	2	2	42	41	42	41
		Dhari	R	29	29	29	1	1	1	1	29	29	29	29
		Okhalkanda	R	44	41	41	1	1	2	2	44	39	44	40
		Kotabag	R	41	40	40	1	1	2	2	41	40	41	36
		Haldwani	R	107	107	107	1	1	5	5	107	107	107	107
		Haldwani	U	76	76	76	1	1	3	3	76	74	76	74
Total		602	598	598	9	9	26	26	602	579	602	575		
7-	Pithoragarh	Pithoragarh	R	77	77	77	1	1	3	3	77	77	77	77
		Berinag	R	73	73	73	1	0	3	3	73	73	73	73
		Dharchula	T	77	77	77	1	1	4	3	77	76	77	77
		Gangolihat	R	78	78	78	1	0	4	2	78	78	78	78
		Kanalichina	R	72	72	72	1	1	3	4	72	72	72	72
		Munsyari	R	68	68	68	1	1	4	3	68	67	68	68
		Dedehat	R	40	40	40	1	1	2	1	40	40	40	40
		Munakot	R	54	54	54	1	1	2	2	54	52	54	53
		Total		539	539	539	8	6	25	21	539	535	539	538
8-	Tehri	Kritinagar	R	53	53	53	1	1	2	2	53	52	53	53
		Thatur	T	60	60	60	1	0	2	2	60	59	60	60
		Jakhnidhar	R	54	54	54	1	0	4	2	54	54	54	54
		Hindolakhali	R	78	78	78	1	1	3	3	78	78	78	78
		Chamba	R	81	81	81	1	1	3	3	81	81	81	81
		Bilangana	R	108	108	108	1	1	5	1	108	108	108	108
		Thauldhar	R	52	52	52	1	0	2	2	52	52	52	51
		Pratapnagar	R	62	62	62	1	0	4	2	62	61	62	62
		Narandra Nagar	R	73	73	73	1	1	3	3	73	73	73	73
Total		621	621	621	9	5	28	20	621	618	621	620		

S.No.	District	Name of Project Block/Tribal &	of the	AWCs	AWCs	AWCs	No. of CDPOs/ACDPOs		No. of Supervisors		No. of AWWs		No. of AWHs	
		Municipality	ICDS	Sanctioned	Operational	Reporting	Sanctioned	Inposition	Sanctioned	Inposition	Sanctioned	Inposition	Sanctioned	Inposition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
9-	Rudharpryag	Jakholi	R	90	90	88	1	1	4	3	90	90	90	90
		Augstyamuni	R	122	122	122	1	1	5	4	122	121	122	121
		Ukhimath	R	46	46	46	1	0	3	3	46	46	46	46
		Total		258	258	256	3	2	12	10	258	257	258	257
10-	Uttarkashi	Mori	R	36	36	36	1	0	2	1	36	36	36	36
		Purola	R	50	50	50	1	1	3	1	50	48	50	49
		Nougaon	R	61	60	60	1	0	3	2	61	60	61	60
		Chainayli Sour	R	43	43	43	1	0	2	1	43	43	43	43
		Dunda	R	75	75	75	1	0	4	3	75	74	75	74
		Bhatwari	R	62	62	62	1	1	3	2	62	62	62	62
		Total		327	326	326	6	2	17	10	327	323	327	324
		11-	Almora	Bhaisyachhana	R	34	34	34	1	1	1	1	34	33
Salt	R			75	75	75	1	0	4	3	75	74	75	74
Takula	R			51	51	51	1	1	2	2	51	51	51	51
Dwarahat	R			97	97	97	1	1	4	4	97	96	97	96
Chakotiya	R			59	59	59	1	0	3	2	59	59	59	59
Tarikhet	R			101	101	101	1	1	4	4	101	101	101	101
Hawalabagh	R			74	74	74	1	1	3	3	74	74	74	74
Dholadevi	R			70	70	70	1	1	3	2	70	69	70	70
Bhekiyasain	R			49	49	49	1	1	2	2	49	47	49	47
Langara	R			53	53	53	1	1	2	1	53	53	53	52
Syaldy	R			59	59	59	1	1	3	2	59	54	59	58
Total		722	722	722	11	9	31	26	722	711	722	716		
12-	Bagheswar	Bagheswar	R	121	121	121	1	1	6	5	121	122	121	121
		Kapkot	R	107	107	107	1	0	6	6	107	105	107	104
		Baijnath	R	68	68	68	1	1	4	1	68	68	68	68
		Total		296	296	296	3	2	14	12	296	293	296	293
13-	Champawat	Champawat	R	83	83	83	1	1	5	2	83	82	83	83
		Lohaghat	R	44	44	44	1	1	3	2	44	43	44	44
		Barakot	R	28	28	28	1	1	2	1	28	28	28	28
		Pati	R	51	51	51	1	0	3	2	51	51	51	50
		Total		206	206	206	4	3	13	7	206	204	206	205
		Grand Total		7792	7734	7734	99	70	386	291	7792	7643	7792	7585

FORMET - 2

State : Uttarakhand

MONTHLY PROJECT REPORT MONTH MARCH – 2007

S. No.	District	Name of ICDS Project (R/T/U)	No. of AWCs Reporting	No. of AWS Providing SNP for 21+days in month	Total population		No. of SNP Beneficiaries			No. of PSE Beneficiaries					Classification of Nutrition Status		Grade - I	Grade -II	Grade - III + Grade IV	Total No. of Children Weighed
					0-6 Years	Preg & Lact Women	0-3 Years	3-6 Years	Preg & Lact Women	No. of AWS Providing PSE for 21+days in a month	Boys	Girls	Reported live Births	No. of Death (0-1 years)	No. of Death (3-5 years)	Normal				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1-	Dehradun	Kalsi	77	50	6896	423	363	2293	301	25	786	789	43	2	0	1655	1112	477	7	3251
		Chakrata	76	50	8902	1183	660	2503	655	25	1971	1915	39	4	0	1727	1425	514	13	3679
		Doiwala	143	143	15551	2761	1535	10187	2761	25	2901	2463	114	0	0	4238	2644	922	7	7811
		Rajpur	114	0	11509	1524	0	0	0	25	949	966	61	1	0	2358	1512	643	25	4538
		vikasnagar	103	103	16154	1180	1095	1095	1956	25	1313	1491	132	0	0	3701	2458	1006	36	7201
		Sahaspur	160	160	16552	2703	1432	1432	2587	25	4204	3801	149	1	1	5566	2915	1186	32	9699
		Dehradun City	108	100	10001	2724	979	979	1908	25	2045	2093	119	0	5	3787	2818	1135	17	7752
		Total	781	606	85565	12498	6064	33866	10168	175	14169	13518	657	8	6	23032	14884	5883	137	43936
2-	Haridwar	Bahadrapur	223	223	39306	6508	16206	8116	5359	25	150	111	1	8	0	7969	5505	2773	163	16410
		Bhagwanpur	170	170	31190	5986	8134	5145	3129	25	128	98	226	2	0	4459	3288	1398	14	9159
		Haridwar City	99	99	16397	2643	5005	3795	1963	25	1908	1887	53	0	0	2077	1903	882	4	4859
		Khanpur	41	41	7153	1323	2049	1150	820	25	584	566	54	0	0	402	230	163	32	827
		Lakshar	138	138	25867	4255	6906	3884	2658	25	2017	1867	140	0	0	2912	2056	1330	71	6369
		Narsan	211	211	37995	6105	9356	6702	3867	25	2741	2489	227	11	2	4637	3851	2296	46	10830
		Roorkee	226	226	37902	6587	10978	5886	3995	25	3074	2812	226	0	0	3732	2304	1138	25	7199
		Total	1108	1108	195810	33407	58634	34678	21791	175	10602	9830	927	21	2	26188	19137	9980	355	55660

FORMET - 2

State : Uttarakhand

MONTHLY PROJECT REPORT MONTH MARCH – 2007

S. No.	District	Name of ICDS Project (R/T/U)	No. of AWCs Reporting	No. of AWS Providing SNP for 21+days in month	Total population		No. of SNP Beneficiaries			No. ofPSE Beneficiaries					Classification of Nutrition Status	Normal	Grade - I	Grade -II	Grade - III + Grade IV	Total No. of Children Weighed
					0-6 Years	Preg & Lact Women	0-3 Years	3-6 Years	Preg & Lact Women	No. of AWS Providing PSE for 21+days in a month	Boys	Girls	Reported live Births	No. of Death (0-1 years)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
3-	Chamoli	Joshimath	103	103	4498	818	2280	2127	745	25	1128	999	40	0	0	889	696	342	0	1927
		Tharali	40	40	3112	541	1251	926	513	25	470	456	32	0	0	1072	684	311	0	2067
		Narayanbagar	63	63	3998	756	2404	1722	756	25	852	870	18	0	0	1078	690	411	0	2179
		Dashauli	49	49	5154	864	2430	2004	855	25	1000	1004	50	0	0	1395	896	509	0	2800
		Pokhari	47	47	3748	636	1777	1457	584	25	692	715	34	1	0	1143	783	549	0	2475
		Karnprayag	32	32	2273	490	1195	1026	480	25	546	480	31	0	0	1138	595	314	0	2047
		Ghat	34	34	3094	501	1369	813	512	25	335	437	13	0	0	818	690	332	0	1840
		Gairsyan	61	61	6085	957	2997	1355	950	25	688	667	39	0	0	1221	890	399	3	2513
		Dewal	24	24	1811	345	763	593	307	25	283	310	13	0	0	308	258	180	0	746
		Total	453	453	33773	5908	16466	12023	5702	225	5994	5938	270	1	0	9062	6182	3347	3	18594
4-	Pauri	Pauri City	59	59	3296	544	1669	972	544	25	495	477	25	0	0	920	470	140	0	1530
		Kot	51	0	2510	291	1579	931	291	25	315	330	7	0	0	434	293	63	0	790
		Kaljikkhal	60	0	2950	511	1632	1008	511	25	431	443	40	0	0	1192	487	90	0	1769
		Khnsu	45	43	2430	404	1321	765	404	25	379	386	19	0	0	556	229	35	0	820
		Dugadda	114	114	6427	1533	4235	2381	1533	25	1168	1213	65	1	0	1030	682	56	0	1768
		Pabo	43	0	3402	610	1774	1252	610	25	671	581	46	0	0	694	430	7	0	1131
		Thalishan	60	0	6514	1141	0	0	0	25	1035	1192	84	2	0	665	448	254	0	1367
		Akeshwar	40	0	2427	636	1539	1050	636	25	550	500	24	0	0	356	562	69	0	987
		Pokhra	31	31	1878	360	938	746	360	25	385	361	6	0	0	234	149	64	0	447
		Beerokhal	64	64	4223	761	2570	1653	761	25	870	783	73	0	0	1107	787	296	0	2190
		Naine Danda	45	45	2101	702	1468	1307	702	25	657	650	35	0	0	460	104	17	0	581
		Yamkeshwar	48	48	3912	524	1570	1358	524	25	568	577	22	0	0	1037	516	129	2	1684
		Rikhanikkhal	40	0	435	517	1419	142	517	25	604	538	15	0	0	394	103	10	0	507
		Jayaharikkhal	57	57	3062	505	1822	1240	505	25	424	364	49	0	0	541	142	24	0	707
		Dwarikkhal	52	52	3305	565	1623	1356	565	25	456	443	35	0	0	501	349	142	10	1002
		Total	809	513	48872	9604	25159	16161	8463	375	9008	8838	545	3	0	1021	5751	1396	12	17280

FORMET - 2

State : Uttarakhand

MONTHLY PROJECT REPORT MONTH MARCH – 2007

S. No.	District	Name of ICDS Project (R/T/U)	No. of AWCs Reporting	No. of AWS Providing SNP for 21+days in month	Total population		No. of SNP Beneficiaries			No. ofPSE Beneficiaries					Classification of Nutrition Status				Total No. of Children Weighed	
					0-6 Years	Preg & Lact Women	0-3 Years	3-6 Years	Preg & Lact Women	No. of AWS Providing PSE for 21+days in a month	Boys	Girls	Reported live Births	No. of Death (0-1 years)	No. of Death (3-5 years)	Normal	Grade - I	Grade -II		Grade - III + Grade IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
5-	Udham singh Nagar	Kritinagar	135	135	17526	2925	5845	3472	2355	25	1644	1828	133	3	0	3331	2068	867	0	6266
		Sitarganj	190	190	23134	3505	8722	9180	2854	25	3077	3103	159	6	0	6791	3589	1091	12	11483
		Rudrapur	169	153	29301	5790	8416	4801	3167	25	2734	2978	146	2	0	4233	2815	1081	12	8141
		Gaderpur	132	132	18590	2663	7209	4322	2663	25	2198	2124	165	0	1	2977	1843	744	9	5573
		Bazpur	118	118	17241	3047	6789	3669	2415	25	1881	1788	115	1	0	3508	1805	670	2	5985
		Kashipur (U)	75	75	11159	1584	4617	2962	1584	25	1454	1508	50	0	0	658	307	102	0	1067
		Kashipur (R)	81	82	13851	1990	4915	22193	1741	25	1536	1632	87	3	0	1362	935	533	23	2853
		Jaspur	107	108	19075	2982	7070	2840	2982	25	1350	1490	137	5	0	1815	1568	765	0	4148
		Total	1007	993	149877	24486	53583	53439	19761	200	15874	16451	992	20	1	24675	14930	5853	58	45516
6-	Nainital	Ramgarh	100	100	4137	853	2339	1390	853	25	704	686	25	0	0	1001	702	261	0	1964
		Ramnager	106	18	12921	2092	4171	2417	1697	25	368	1224	165	0	0	9191	2377	992	7	12567
		Bhimtal	57	57	4368	847	21	31	891	25	438	453	43	2	0	1726	709	163	0	2598
		Haldwani (R)	107	107	14237	2202	420	2590	1850	25	1334	1324	92	0	0	3444	1607	538	7	5596
		Okhalkanda	41	41	7048	1185	1595	1328	800	25	660	668	36	0	0	847	328	85	0	1260
		Betalghat	42	42	2229	527	1410	819	527	25	405	414	34	1	0	761	543	230	0	1534
		Kotabag	40	40	5554	990	1669	840	641	25	375	465	57	1	0	585	425	200	3	1213
		Dhari	29	21	2549	503	1761	513	503	25	252	261	18	3	0	262	137	51	2	452
		Haldwani (U)	76	76	12867	1790	3414	2737	1387	25	1302	1435	42	3	0	2273	1371	513	9	4166
		Total	598	502	65910	10989	16800	12665	9149	225	5838	6930	512	10	0	20090	8199	3033	28	31350
7-	Pithoragarh	Dharchula	77	77	7607	1063	3252	1793	1035	25	944	849	55	1	3	2763	905	131	0	3799
		Gangolihat	78	78	7695	1357	3715	1924	1357	25	1010	914	54	2	0	2174	1049	292	0	3515
		Munsiyari	68	68	5861	980	2726	1860	980	25	918	942	31	0	0	1769	509	149	0	2427
		Pithoragarh	77	77	6535	1020	3113	1597	1020	25	769	828	54	0	0	2355	1221	335	0	3911
		Berinag	73	73	5263	1210	2966	1760	1210	25	885	875	42	1	0	1016	663	385	0	2064
		Kanalichina	72	72	5073	912	2468	1362	912	25	689	673	22	0	0	1906	661	71	0	2638
		Munakot	54	54	4815	811	2074	987	811	25	523	464	38	2	0	1122	707	179	5	2013
		Dedehat	40	40	4203	639	1837	844	639	25	431	413	17	2	0	1090	597	134	0	1821
		Total	539	539	47052	7992	22151	12127	7964	200	6169	5109	313	8	3	14195	6312	1676	5	22188
		8-	Tehri	Kirtinagar	53	25	3738	667	1780	1236	667	25	656	622	91	0	0	1694	561	198
Thatur	60			60	5819	1135	2180	1935	831	25	636	653	29	0	0	780	683	427	16	1906
Jakhnidhar	54			54	4959	1100	2413	2520	1100	25	1270	1250	15	0	0	1750	195	30	0	1975
Devprayag	78			78	5185	841	2499	1695	841	25	930	752	34	0	0	2360	1328	518	0	4206
Chamba	81			81	5317	1365	2880	2437	1365	25	1313	1124	20	0	0	1111	588	99	0	1798
Narandra Nagar	108			0	6166	953	3095	2872	953	25	1039	1126	50	0	0	1329	899	435	4	2667
Prapapnagar	52			62	3583	993	1791	1722	993	25	901	901	81	0	0	603	21	3	0	627
Thauldhar	52			52	2894	607	1744	1150	607	25	575	576	36	0	0	905	584	130	0	1619
Bhilangana	73			28	10468	2431	4775	3709	2238	25	0	0	16	0	3	2767	598	165	0	3550
Total	621			440	48129	10092	23157	19276	9595	25	7320	7006	372	0	3	13299	5457	2005	20	20781

FORMET - 2

State : Uttarakhand

MONTHLY PROJECT REPORT MONTH MARCH – 2007

S. No.	District	Name of ICDS Project (R/T/U)	No. of AWCs Reporting	No. of AWS Providing SNP for 21+days in month	Total population		No. of SNP Beneficiaries			No. ofPSE Beneficiaries					Classification of Nutrition Status				Total No. of Children Weighed			
					0-6 Years	Preg & Lact Women	0-3 Years	3-6 Years	Preg & Lact Women	No. of AWS Providing PSE for 21+days in a month	Boys	Girls	Reported live Births	No. of Death (0-1 years)	No. of Death (3-5 years)	Normal	Grade - I	Grade -II		Grade - III + Grade IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
9-	Rudharpryag	Jakholi	90	90	8253	1492	1625	1602	1289	90	999	1022	49	0	1	2145	1280	605	16	4046		
		Augstyamuni	122	122	7205	1708	4216	2989	1708	122	1450	1366	153	0	0	2491	1616	675	20	4802		
		Ukhimath	46	46	5864	998	2103	1611	842	46	800	811	81	0	0	1092	432	75	0	1599		
		Total	258	258	21322	4198	7944	6202	3839	258	258	3199	283	0	1	5728	3328	1355	36	10447		
10-	Uttarkashi	Bhatwari	62	62	5094	884	2421	2673	884	25	1357	1316	57	0	0	1454	1083	583	8	3128		
		Dunda	75	75	4719	929	2593	2126	929	25	865	865	31	2	0	1000	874	451	1	2326		
		Chainayali Sour	43	43	4002	701	1866	1424	701	25	697	697	22	1	0	278	292	111	5	686		
		Nougaon	61	61	6627	1180	2723	1884	852	25	946	946	17	3	0	893	756	292	3	1944		
		Purola	50	50	3362	611	1920	1442	611	25	700	700	29	1	0	442	306	97	2	847		
		Mori	36	36	2529	467	1401	1108	267	25	566	566	24	2	0	452	454	173	13	1092		
		Total	327	327	26333	4772	12924	10657	4244	150	5131	5090	180	9	0	4519	3765	1707	32	10023		
11-	Almora	Takula	51	51	4773	734	2192	901	734	25	453	448	35	0	0	1259	1082	461	1	2830		
		Salt	75	0	4998	837	2811	1695	837	25	854	841	48	0	0	1942	676	130	0	2748		
		Tarikhet	101	101	8059	1197	3575	1781	1179	25	889	892	67	0	0	2387	1622	558	13	4580		
		Dwarahat	97	97	6028	954	2722	1395	940	25	687	708	50	0	0	1550	1108	284	2	2944		
		Bhaisyachana	34	34	3052	534	1521	776	534	25	392	384	20	0	0	827	461	74	0	1362		
		Dholadevi	70	70	7923	1162	3808	1703	1162	25	895	808	26	0	0	1273	990	144	20	2427		
		Hawalabagh	74	74	8267	1524	3362	1820	1267	25	937	883	32	0	0	351	195	114	0	660		
		Chakotiya	59	59	4366	863	2517	1342	863	25	665	677	44	2	0	1421	1129	438	0	2988		
		Lamgara	53	53	5040	888	2612	1929	888	25	1013	916	11	0	0	465	377	97	1	940		
		Syaldey	59	59	5162	850	2080	1756	802	25	920	836	22	0	0	531	383	131	0	1045		
		Bhekyasain	49	49	5262	736	2837	825	736	25	415	410	30	0	0	839	381	0	0	1220		
		Total	712	647	62930	10271	30037	15923	9942	275	8120	7803	385	2	0	12845	8404	2431	37	23717		
		12-	Bagheswar	Bagheswar	121	121	10882	2553	4069	2496	1688	25	1233	1263	76	0	0	941	993	971	9	2914
				Kapkot	107	107	10552	2260	3627	2527	1676	25	1240	1287	96	0	0	2049	1329	671	3	4052
				Bajjnath	68	68	20213	1647	2622	1590	1070	25	801	789	91	0	0	495	431	614	2	1542
Total	296			296	41647	6460	10318	6613	4434	75	3274	3339	263	0	0	3485	2753	2556	14	8508		
13-	Champawat	Champawat	83	83	8459	1867	5655	2784	1867	25	1381	1403	128	0	0	1750	1385	325	0	3460		
		Lohagahat	44	44	5514	1003	3237	2277	1003	25	1174	1103	33	0	0	1135	749	249	0	2133		
		Barakot	28	28	2395	458	1502	893	458	25	443	450	13	0	0	893	480	144	0	1517		
		Pati	51	51	5409	1082	3621	1788	1082	25	946	842	44	1	0	1623	861	386	2	2872		
		Total	206	206	21777	4410	14035	7742	4410	100	3944	3798	218	1	0	5401	3475	1104	2	9982		
Grand Total	7725	6888	848997	145095	297272	241372	119462	2658	95701	96849	5917	83	15	172640	102577	42026	739	317982				